राजस्थान सरकार

संगरिया मास्टर प्लान

(2009–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान, जयपुर

आभार

संगरिया के सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने में संगरिया के विशिष्ट जन–प्रतिनिधियों, संस्थाओं, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास के इस कार्य में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ , जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कस्बे के सुनियोजित विकास के लिए प्रदान किया है।

मैं जिला कलक्टर हनुमानगढ़, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, संगरिया का विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जलप्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मास्टर प्लान को तैयार करने में अपना प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सहयोग दिया है।

अन्त में, मैं सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस कस्बे को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे।

उक्त सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं संगरिया के गणमान्य नागरिक धन्यवाद के पात्र है ।

ह.
(आर.पी. शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान)
राजस्थान, जयपुर

योजना दल

1.	श्री पी.के पाण्डेय	मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
2.	श्री एन.के.खरे	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जयपुर (16.12.09 तक)
3.	श्री आर. पी. शर्मा	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, (मास्टर प्लान), जयपुर (17.12.09 से)
4.	श्री एच.एस. आजाद	वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन, बीकानेर (16.12.09 तक)
5.	श्री जे.बी. जाखड़	वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन, बीकानेर (17.12.09 से)
6.	श्री बी.डी. जाट	उप नगर नियोजक (पी.आर.), जयपुर
7.	श्री सुग्रीब सिंह	उप नगर नियोजक (पी.आर.) बीकानेर जोन, बीकानेर
8.	श्री मोहम्मद अयूब	सहायक नगर नियोजक, जयपुर
9.	श्री जगदीश कलवार	सहायक नगर नियोजक, जयपुर

अनुसंधान शाखा

1.	श्री गोरधन राम	अनुसंधान सहायक, बीकानेर (कार्यवाहक 31.1.10 तक)
2.	श्रीमती आषा शर्मा	अन्वेषक ग्रेड – द्वितीय, जयपुर

सर्वेक्षण शाखा

1.	श्री गुरूदत्त शर्मा	सहायक अभियन्ता, बीकानेर (कार्यवाहक)
2.	श्री रणवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता, बीकानेर
3.	श्री दलीप पूनिया	कन्ष्ठि अभियन्ता, बीकानेर

मानचित्र शाखा

1.	श्री पन्नालाल सिसोदिया	वरिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर
2.	श्री मूलेन्द्र सिंह चौहान	वरिष्ठ प्रारूपपकार, बीकानेर
3.	श्री मनोहर लाल	कनिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर
4.	श्री साधुराम	कनिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर
5.	श्री कमल कुमार मिश्रा	कनिष्ठ प्रारूपकार, बीकानेर

6.	श्री मोहम्मद सरवर उस्ता	अनुरेखक, बीकानेर
7.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	अनुरेखक, जयपुर

मंत्रालयिक शाखा

1.	श्री सुनील कुमार खत्री	निजी सहायक, बीकानेर
2.	श्री अर्जुन नाथ सिद्ध	शीघ्र लिपिक, बीकानेर
3.	श्री शिव कुमार भादाणी	वरिष्ठ लिपिक, बीकानेर

विषय सूची

क्र.सं.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	II
	योजना दल	III-IV
	विषय सूची	V-VIII
	तालिका सूची	IX
1.	परिचय	1–2
2.	विद्यमान विशेषताएँ	3–19
	2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	
	2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	
	2.3 ऐतिहासिक	
	2.4 जनसांख्यिकी	
	2.5 व्यावसायिक संरचना	
	2.6 विद्यमान भू–उपयोग	
	2.6.1 आवासीय	
	2.6.1 (अ) आवासन	
	2.6.1 (ब) कच्ची बस्तियां	
	2.6.1 (स) षहरी नवीनीकरण	
	2.6.2 वाणिज्यिक	
	2.6.3 औद्योगिक	
	2.6.4 राजकीय	
	2.6.4 (अ) सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय	
	2.6.5 आमोद–प्रमोद	
	2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	
	2.6.6 (अ) शैक्षणिक	
	2.6.6 (ब) चिकित्सा सुविधाएँ	
	2.6.6 (स) सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	
	2.6.6 (द) जनोपयोगी सुविधाएँ	

2.6.6 द (1) जलापूर्ति
2.6.6 द (2) मल–जल निकास व ठोस कचरा प्रबन्धन
2.6.6 द (3) विद्युत आपूर्ति
2.6.6 (य) श्मशान एवं कब्रिस्तान
2.6.7 परिसंचरण
2.6.7 (अ) यातायात व्यवस्था
2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल
2.6.7 (स) रेल एवं हवाई सेवा

3. नियोजन की संकल्पना 20–23

3.1 नियोजन की नीतियां
3.2 नियोजन के सिद्धान्त

4. भावी आकार 24–28

4.1 जनसांख्यिकी
4.2 व्यावसायिक संरचना
4.3 नगरीय क्षेत्र
4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र
4.5 योजना क्षेत्र
(अ) उत्तर–पश्चिमी योजना क्षेत्र
(ब) दक्षिण–पूर्वी योजना क्षेत्र
(स) परिधि नियंत्रण पट्टीक्षेत्र

5. भू–उपयोग योजना 29–49

5.1 आवासीय
5.1 (1) आवासन
5.1 (2) शहरी नवीनीकरण
5.2 वाणिज्यिक

5.2 (1) केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र

5.2 (2) थोक व्यापार एवं विशेष बाजार

5.2 (3) भण्डारण एवं गोदाम

5.2 (4) वाणिज्यिक केन्द्र

5.3 औद्योगिक

5.4 राजकीय

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय

5.5 आमोद–प्रमोद

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल

5.5 (2) स्टेडियम

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक

5.6 (1) शैक्षणिक

5.6 (2) चिकित्सा

5.6 (3) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ

5.6 (4) जनोपयोगी सुविधाएँ

5.6 4 (अ) जलापूर्ति

5.6 4 (ब) मल–जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन

5.6 4 (स) विद्युत आपूर्ति

5.7 परिसंचरण

5.7 (1) अ– प्रस्तावित यातायात संरचना

5.7 (1) ब– सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार

5.7 (1) स– चौराहों का सुधार

5.7 (1) द– पार्किंग व्यवस्था

5.7 (2) बस अड्डा तथा यातायात नगर

5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी

5.8 (1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र

6. योजना का कार्यान्वयन 50—54

6.1 वर्तमान आधार

6.2 प्रस्तावित आधार

6.3 जन—सहभागिता एवं जन—सहयोग

6.4 भू—उपयोग अंकन एवं भूमि आवाप्ति

6.5 उपसंहार

परिशिष्ट :

1. राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण 55-56

2. राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम 1962 के उद्धरण 57-59

3.राजकीय अधिसूचना दिनांक 26.03.2007 एवं 26.04.2010 60-61

4. राजकीय अधिसूचना दिनांक 06.02.2012 62

तालिका सूची

क्रम सं.	तालिका का विवरण	पृष्ठ सं.
1.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति : 1971–2001	7
2.	व्यावसायिक संरचना : 1991–2001	8
3.	विद्यमान भू–उपयोग : 2009	9
4.	सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय : 2009	12
5.	शैक्षणिक संरचना : 2009	14
6.	जलापूर्ति : 2009	16
7.	विद्युत आपूर्ति : 2009	17
8.	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमान : 1981–2031	25
9.	अनुमानित व्यवसायिक संरचना : 2031	26
10.	योजना क्षेत्र : 2031	27
11.	प्रस्तावित भू–उपयोग : 2031	30
12.	प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण : 2031	33
13.	औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग का विवरण : 2031	35
14.	राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग का विवरण : 2031	37
15.	आमोद–प्रमोद : 2031	38
16.	सार्वजनिक/अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण : 2031	39
17.	प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना : 2031	40
18.	चिकित्सा सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण : 2031	41
19.	अन्य सामुदायिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण : 2031	42
20.	जनोपयोगी सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण : 2031	43
21.	प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार : 2031	46
22.	सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार : 2031	47

1
परिचय

संगरिया कस्बा राजस्थान के उत्तर में जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 25 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह हनुमानगढ़ जिले का उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है। संगरिया का जनसंख्या की दृष्टि से जिले में छठा स्थान है।

संगरिया उत्तरी–पश्चिमी रेलवे का एक स्टेशन है, जो हनुमानगढ़ से ब्राडगेज से जुड़ा हुआ है। यह हनुमानगढ़, अबोहर, सादुलशहर, रावतसर, टिब्बी, डबवाली (हरियाणा) भादरा, नोहर आदि कस्बों से सड़क मार्ग से भली–भांति जुड़ा हुआ है। यह माध्य समुद्र तल से लगभग 575.28 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है तथा 29°–47½′ उत्तरी अक्षांश एवं 74°–23′ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।

संगरिया कस्बे के विकास के साथ–साथ जनसंख्या भी लगातार तीव्र गति से बढ़ने लगी है। सन् 1951 में यहाँ की जनसंख्या 3879 थी, जो बढ़कर सन् 1961 में 8112 हो गयी। इस प्रकार 1951–61 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 109.13 प्रतिशत अंकित की गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण भाखड़ा नहर परियोजना से सिंचाई की सुविधा रहा है । वर्ष 1991 एवं 2001 में जनसंख्या क्रमशः 25290 एवं 34541 रही है। कस्बे के पुरानी आबादी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है व बाहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है। कस्बे के विकास के साथ–साथ आवासीय मकानों की सघनता, तंग सड़कों पर बढ़ता हुआ यातायात, अनियोजित एवं मिश्रित वाणिज्यिक उपयोग, सार्वजनिक, अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं के अभाव जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। नगर में हो रहे विकास एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ–साथ आधारभूत सुविधाएं एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं। नगर के गन्दे पानी की निकासी एवं जल प्रवाह क्षेत्र को नियोजित करना जरूरी है तथा जनता के लिये स्वस्थ वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से कस्बे का सुनियोजित

विकास किया जाना जरूरी है। कस्बे की समस्याओं के समाधान तथा नियोजित ढंग से विकास को बढ़ावा देने के लिए समुचित कदम उठाये जाने आवश्यक हैं। संगरिया के भावी विकास के लिए एक दीर्घकालीन योजना (मास्टर प्लान) की आवश्यकता महसूस की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के तहत दिनांक 26.03.07 एवं दिनांक 26.04.10 को अधिसूचना जारी कर संगरिया सहित 11 राजस्व ग्रामों/चकों को शामिल करते हुए संगरिया का नगरीय क्षेत्र अधिसूचित कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर को उक्त नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया है। नगर नियोजन विभाग द्वारा संगरिया कस्बे का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण तथा द्वितीयक स्त्रोतों के माध्यम से आवश्यक सांख्यिकी सूचनाओं का संकलन किया गया है। इन सूचनाओं का गहन विश्लेषण कर मानचित्रों और विस्तृत अभिलेखों को तैयार किया गया, जो इस मास्टर प्लान का आधार बने एवं तद्नुरूप संगरिया मास्टर प्लान के प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया। यह योजना जन समुदाय की आगामी 22 वर्षों की आवश्यकताओं का आंकलन कर तैयार की गई है। इस योजना का क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है।

मास्टर प्लान प्रारूप के साथ चार मानचित्र, क्रमशः विद्यमान भू–उपयोग 2010, प्रस्तावित भू–उपयोग योजना 2031, नगरीय क्षेत्र मानचित्र 2031 तथा नगर मानचित्र 2010 संलग्न हैं।

नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत है। इस मास्टर प्लान के सम्बन्ध में प्राप्त हुए प्रत्येक सुझाव एवं आपत्ति का विस्तृत अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है तथा समुचित सुझावों एवं आपत्तियों को समाहित कर मास्टर प्लान को अन्तिम रूप दिया गया है।

(सुग्रीब सिंह)
वरिष्ठ नगर नियोजक
बीकानेर जोन, बीकानेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(209)नविवि/3/2006 दिनांक : 06.02.2012 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। (परिषिष्ट 3 ii)

2

विद्यमान विशेषताएँ

राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित संगरिया कस्बा एक विकासशील कस्बा है। यह कस्बा हनुमानगढ़ जिले के उत्तरी–पूर्वी भाग में हरियाणा राज्य की सीमा से लगता हुआ स्थित है । प्रशासनिक दृष्टि से यह जिले का प्रमुख उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है । यह कस्बा जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। संगरिया में मण्डी तथा नगरपालिका की विकसित कॉलोनियों को छोड़कर बाकी सभी अनियोजित रूप से बसी हुयी है । वर्ष 1951 के पश्चात यहाँ पर जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुयी है, किन्तु जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में आमोद–प्रमोद स्थल व सामुदायिक सुविधाओं का विकास नहीं हुआ है ।

संगरिया एक महत्वपूर्ण कृषि मण्डी है । यहाँ से कृषि उत्पाद यथा कपास, गेहूँ, सरसों, चावल इत्यादि राज्य के अन्य जिलों एवं अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। यहाँ थार रेगिस्तान होने के बावजूद नहरों से सिंचाई होने से यह क्षेत्र हरा–भरा रहने लगा है। संगरिया रेल व सड़क मार्ग से प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है ।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु :

संगरिया राजस्थान प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 29°–47½′ उत्तरी अक्षांश एवं 74°–23′ पूर्वी देशान्तर पर माध्य समुद्र तल से 575.28 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। थार रेगिस्तान में बसा होने के कारण यहॉ की जलवायु लगभग सम्पूर्ण वर्ष गर्म और शुष्क रहती है। नगर के चारों ओर वर्तमान में भाखड़ा नहर परियोजना से सिंचाई होने के कारण लगभग सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र हरा–भरा रहता है। राजस्थान के इस उत्तरी भाग में धूल भरी आंधियाँ आती हैं, जो कि इस भू–भाग की सामान्य विशेषता है। हवा की दिशाएँ मुख्य रूप से अप्रेल से सितम्बर तक दक्षिण–पश्चिम से तथा अक्टूबर से

मार्च तक उत्तर–पश्चिम और उत्तर–पूर्व की ओर से होती हैं। तापमान में अत्यधिक उतार–चढ़ाव का मुख्य कारण यहां का मौसम गर्म और शुष्क रहता है। गर्मी के मौसम में माह मई व जून में यहां का औसतन न्यूनतम तापमान 22° सेन्टीग्रेड एवं अधिकतम 47° सेन्टीग्रेड तथा शीत ऋतु के माह दिसम्बर व जनवरी में यहाँ का न्यूनतम तापमान 3° से 5° सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है । यहाँ मानसून की अनिश्चिता रहती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 30 सेन्टीमीटर रहती है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य :

संगरिया, हनुमानगढ़ जिले के अन्तर्गत उप खण्ड एवं तहसील मुख्यालय है। यह राजस्थान के उत्तर व जिला मुख्यालय के उत्तर पूर्व में स्थित है। यहां थार रेगिस्तान होने के बावजूद नहरों से सिंचाई होने से यह क्षेत्र हरा–भरा रहने लगा है। संगरिया रेल व सड़क मार्ग से प्रदेश एवं देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा सीमा से लगे होने से इसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण है। संगरिया एक महत्वपूर्ण कृषि मण्डी है। यहां से उत्पादन राज्य के अन्य जिलों में एवं अन्य राज्यों में भी भेजा जाता है। मण्डी में प्रमुख सुविधाओं में वित्त निगम का स्टोरेज, ट्रक पार्किंग इत्यादि सुविधा उपलब्ध है, जो पर्याप्त नहीं है।

इस क्षेत्र में अधिकांशतः दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली क्लेई लोम मिट्टी जो धान, गन्ना, ज्वार, सरसों, गेहूं, मक्का एवं नरमा आदि फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। दूसरी बालूई मिट्टी जिसमें बारानी फसलें होती हैं, इनमें बाजरा, ग्वार, मूंग,चना व मोठ आदि फसलों की उपज होती है। संगरिया तहसील में भाखड़ा नहर परियोजना से पानी मिलने से अच्छी पैदावार होती है।

संगरिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि आधारित हैं। यहां से गेहूं, धान, सरसों, कपास एवं खाद्य तेल आदि अन्य राज्यों में भेजे जाते है। यहां पर साजी एवं साबुन भी तैयार किया जाता है।

2.3 ऐतिहासिक :

1900–1901 के लगभग बीकानेर राज्य की एक फौजी टुकड़ी यहां रहा करती थी। इस फौजी टुकड़ी का कार्य इस राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखना होता था। इस फौजी टुकड़ी को संगर कहा जाता था। फौजी टुकड़ी (संगर) का यहां निवास होने के कारण यह स्थान संगरिया कहलाया जाने लगा। सन् 1900–1901 के दशक में पंजाब (वर्तमान हरियाणा) स्थित चौटाला गांव के किसान वर्ग के लोग जिनमें मुख्यतः जाट, बिश्नोई और छींपा थे, यहां आ बसे और 10–12 घरों की आबादी संगरिया गांव के रूप में बस गयी। सन् 1904–05 में बीकानेर–सूरतगढ़ मीटरगेज रेलवे लाइन को भटिण्डा तक बढ़ाया गया जो संगरिया गांव के पास से होती हुयी गयी। संगरिया गांव विशेष महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण यहां से 6 कि.मी. दूर स्थित चौटाला गांव के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम चौटाला रोड़ रखा गया। बाद में सन् 1953 में तत्कालीन माननीय रेलवे मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने संगरिया स्टेशन नामकरण रखा। रेलवे लाइन आने के बाद सरकार द्वारा सन् 1908 में यहॉ मण्डी की स्थापना की गयी।

पूर्व में यहां का पुलिस थाना, पास में ही रतनपुरा गांव में लगता था, जो बाद में धर्मशाला एवं दाल मिल के मध्य संगरिया में स्थापित कर दिया गया। प्रारम्भ में यहां पर धर्मशाला के एक कमरे में डिस्पेंसरी तथा एक कमरे में पोस्ट ऑफिस का कार्य होता था। सन् 1917 में यहां पर चौधरी बहादुर सिंह भोमिया के प्रयासों से एक ''जाट ऐंग्लों संस्कृत मिडिल स्कूल'' खोला गया। सन् 1943 में यहां पर हाई स्कूल बना तथा 1945 में उद्योग धन्धों का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया तथा 1950 में इसका नाम ग्रामोत्थान विद्यापीठ रख दिया गया। सन् 1952 में देश में आम चुनाव हुए, जिससे संगरिया को विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिला। सन् 1955 में इस क्षेत्र में भाखड़ा नहर का पानी पहुंचा जिसके कारण क्षेत्र में कृषि का विकास आरम्भ हुआ एवं मण्डी भी प्रगति करने लगी । सन् 1959 में पहली बार माननीय

प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, संगरिया के ग्रामोत्थान विद्यापीठ का अवलोकन करने आये, जिससे संगरिया का गौरव बढ़ा तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार का ध्यान संगरिया के विकास की ओर आकृष्ट हुआ। सन् 1955 में संगरिया में पहली बार चुनी हुई नगर पालिका ने कार्य प्रारम्भ किया। यहां पर सन् 1970 के लगभग तहसील कार्यालय खुला तथा 1990 के दशक में उपखण्ड कार्यालय तथा न्यायालय खोले गये। विगत 25 वर्षो में संगरिया कस्बे का तीव्र गति से विकास हुआ है। सन् 1970 के दशक में आठ वार्डो के स्थान पर आज 24 वार्ड बन गये है तथा यहाँ एस.डी.एम. कार्यालय, न्यायालय, छात्र–छात्राओं के महाविद्यालय, पुलिस थाना, निजी अस्पताल तथा सभी स्तर के विद्यालय मौजूद है।

2.4 जनसांख्यिकी :

जनसंख्या की दृष्टि से संगरिया कस्बे का जिले में छठा स्थान है। प्रथम बार संगरिया को सन् 1951 की जनगणना में नगर की श्रेणी में सम्मिलित किया गया। उस समय इसकी जनसंख्या मात्र 3879 थी। सन् 1961 में संगरिया की जनसंख्या बढ़कर 8112 हो गई। इसके बाद के दशकों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती रही तथा सन् 2001 में 34541 व्यक्ति तक पहुंच गई तथा वर्ष 2009 में संगरिया की जनसंख्या लगभग 44000 आंकी गयी है । संगरिया की उत्तरोत्तर वृद्धि का मुख्य कारण भाखड़ा नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलना रहा है। विगत तीन दशकों में यहाँ अधिकांश सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों की स्थापना हुई। इस कारण कर्मचारियों का आना भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण रहा है। संगरिया की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति को तालिका–1 में दर्शाया गया है।

तालिका– 1

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति, संगरिया– 1951–2001

क्रमांक	दशक	जनसंख्या	अन्तर	वृद्धि दर प्रतिशत में
1	1951	3879	–	–
2	1961	8112	+4233	+109.13
3	1971	13000	+4888	+60.26
4	1981	19002	+6002	+46.17
5	1991	25290	+6288	+33.09
6	2001	34541	+9251	+36.58
7	2009	44000	+9459	+27.38

स्त्रोत– भारतीय जनगणना– 2001 एवं विभागीय आकलन

2.4 व्यावसायिक संरचना :

संगरिया में कार्यरत व्यक्तियों का अनुपात सन् 1991 की जनगणना के आधार पर 26.67 प्रतिशत था, जो सन् 2001 में बढ़कर 29.00 प्रतिशत हो गया। सन् 1991 की जनगणना के आधार पर 6746 व्यक्ति व सन् 2001 में 10017 व्यक्ति कस्बे में विभिन्न कार्यकलापों में कार्यरत थे। सन् 2001 में कुल कार्यरत व्यक्तियों में से 10.00 प्रतिशत प्राथमिक सेक्टर, 19.00 प्रतिशत द्वितीय सेक्टर में तथा 71.00 प्रतिशत तृतीय सेक्टर में लगे हुए थे। संगरिया की व्यावसायिक संरचना को तालिका–2 में दर्शाया गया है। इस तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस कस्बे में कृषि पर आधारित व्यापार एवं वाणिज्यिक कार्यो में अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण भाखड़ा नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा प्राप्त होना है।

तालिका– 2

व्यावसायिक संरचना, संगरिया 1991–2001

क्रमांक	व्यवसाय	1991		2001*		2009*	
		कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत
1	कृषि,खनन एवं तत्संबंधी कार्य	819	12.14	1002	10.00	1135	9.00
2	उद्योग	992	14.70	1502	15.00	2019	16.00
3	निर्माण	262	3.88	401	4.00	504	4.00
4	व्यापार एवं वाणिज्य	2319	34.38	3506	35.00	4542	36.00
5	यातायात एवं संचार	422	6.26	701	7.00	883	7.00
6	अन्य सेवाएँ	1932	28.64	2905	29.00	3532	28.00
योग		6746	100.00	10017	100.00	12615	100.00

स्त्रोत– भारतीय जनगणना एवं विभागीय अनुमान 1991–2001* एवं 2009*

2.6 विद्यमान भू–उपयोग :

संगरिया कस्बा लगभग 5.85 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वर्ष 2009 में कुल विकसित क्षेत्र 1026 एकड़ है। विद्यमान भू–उपयोग की गणना के आधार पर कुल विकसित क्षेत्र का 58.77 प्रतिशत आवासीय, 4.09 प्रतिशत वाणिज्यिक, 2.83 प्रतिशत औद्योगिक, 2.24 प्रतिशत राजकीय, 18.03 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक तथा 13.55 प्रतिशत परिसंचरण के अन्तर्गत आता है। संगरिया कस्बे में औद्योगिक व आमोद–प्रमोद क्षेत्र में भूमि–उपयोग का प्रतिशत काफी कम है। विद्यमान भू–उपयोग वर्ष 2009 तालिका–3 में दर्शाया गया है :–

तालिका–3

विद्यमान भू–उपयोग संगरिया – 2009

क्रमांक	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिषत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिषत
1.	आवासीय	603.00	58.77	56.25
2.	वाणिज्यिक	42.00	4.09	3.92
3	औद्योगिक	29.00	2.83	2.71
4.	राजकीय	23.00	2.24	2.15
5.	आमोद–प्रमोद	5.00	0.49	0.46
6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	185.00	18.03	17.26
7.	परिसंचरण	139.00	13.55	12.96
	कुल विकसित क्षेत्र	1026.00	100.00	95.70
8.	कृषि	28.00	–	2.61
9.	जलाशय	18.00	–	1.68
	कुल नगरीय कृत क्षेत्र	1072.00	–	100.00

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण

2.6.1 आवासीय :

संगरिया कस्बे में 603 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ विकसित हो चुकी है। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार संगरिया का औसत आवासीय जन घनत्व 57 व्यक्ति प्रति एकड़ है तथा सन् 2009 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर औसत आवासीय जन घनत्व 73 व्यक्ति प्रति एकड़ है । पुराने शहर की आबादी का औसत आवासीय जन घनत्व लगभग 200 व्यक्ति प्रति एकड़ है, एवम् बाहरी विकसित क्षेत्र का

औसत जन घनत्व 22 व्यक्ति प्रति एकड़ ही है। विकसित आवासीय क्षेत्र मुख्य रूप से नगरपालिका एवं मण्डी विकास समिति द्वारा विकसित की गई योजनाओं के रूप में है। संगरिया कस्बे में उच्च घनत्व वाले आवासीय क्षेत्रों का विकास प्रमुखतः गुरूनानक बस्ती, केशवानन्द कॉलोनी, गुलाब बस्ती, विश्नोई मोहल्ला तथा धानका बस्ती क्षेत्रों के आस–पास हुआ है। अधिकतम घनत्व पुरानी आबादी गुरूनानक बस्ती, कश्षवानन्द बस्ती तथा विश्नोई मोहल्ला क्षेत्र में है।

2.6.1(अ) आवासन :

सन् 1971 की जनगणना के अनुसार यहां पर लगभग 1500 परिवार निवास करते थे जो बढ़कर वर्ष 2001 में 5000 हो गये तथा वर्ष 2009 में परिवारों की संख्या बढ़कर 6300 हो गयी हैं । वर्ष 1971 में मकानों की संख्या 1200 थी जो 2001 में 4000 हो गयी तथा वर्ष 2009 में 4600 ही है । अतः लगभग 1700 परिवार ऐसे हैं जिनके पास स्वयं का आवास नहीं है ।

2.6.1(ब) कच्ची बस्तियाँ :

संगरिया में राजकीय भूमि पर 2 कच्ची बस्तियाँ विकसित हो गई हैं। कस्बे के नगरीयकृत क्षेत्र से बाहर चारों तरफ कृषि भूमि पर अनाधिकृत निर्माण हो गये हैं। कच्ची बस्तियों एवं अनाधिकृत कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

2.6.1 (स) नगरीय नवीनीकरण :

अभी तक संगरिया में किसी क्षेत्र का पुर्नस्थापन, पुनर्विकास एवं नवीनीकरण का कार्यक्रम नहीं चलाया गया है, जो कि समय के साथ अति आवश्यक है। भविष्य में नई योजनाएँ बनाते समय कच्ची बस्तियों एवं पुराने क्षेत्रों का पुनर्विकास तथा नवीनीकरण किया जावेगा ।

2.6.2 वाणिज्यिक :

वर्तमान में कस्बे में कुल विकसित क्षेत्र में से लगभग 42 एकड़ भूमि को वाणिज्यिक उपयोग में लिया जा रहा है। संगरिया की बढ़ रही जनसंख्या के लिये मांग व भूमि की कीमतों में वृद्धि के कारण दुकानों के आगे सड़क पर अतिक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में अतिक्रमण के भारी दबाव के कारण बाजार अव्यवस्थित होते जा रहे हैं। संगरिया कस्बे में पुरानी मण्डी के अलावा अन्य कोई भी सुव्यवस्थित मार्केट उपलब्ध नहीं है । पुरानी मण्डी में लोहा, लक्कड़, अनाज, शब्जी व कपास इत्यादि का व्यापार होने से यह भीड़भाड़ वाला क्षेत्र हो गया है। बढ़ती हुयी वाहनों की संख्या के लिए यहॉ पर पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है। संगरिया मुख्य रूप से कृषि विपणन केन्द्र के रूप में विकसित हो रहा है । अतः नये व्यवस्थित मार्केट विकसित किये जाने कि आवश्यकता है। संगरिया कस्बे में 3 होटल एवं 2 सिनेमाघर चल रहे हैं । भण्डार एवं गोदाम रतनपुरा गॉव के उत्तर की तरफ लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित है।

2.6.3 औद्योगिक :

औद्योगिक दृष्टि से संगरिया काफी पिछड़ा हुआ है। मूलभूल सुविधाओं के अभाव में सन् 1981 तक यहां छोटे–मोटे घरेलू उद्योगों के अलावा कुछ नहीं था। भाखड़ा नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने के कारण यहाँ कृषि आधारित उद्योग लगने लगे। अधिकतर कॉटन जिनिंग उद्योग, खाद्य तेल एवं साबुन की औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। जिला उद्योग केन्द्र, हनुमानगढ़ से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कस्बे में कुल 42 पंजीकृत औद्योगिक ईकाइयां कार्यरत हैं तथा इनमें लगभग 427 कामगार लगे हुए हैं। कस्बे के विभिन्न मार्गों में चर्म, खाद्य तेल, लकड़ी, सीमेंट, कॉटन, मरम्मत एवं सेवा कार्य, लोहा इत्यादि पर आधारित औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। संगरिया में कुल विकसित क्षेत्र का 2.83 प्रतिशत भूमि (37.00 एकड़) औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत

आती है। औद्योगिक क्षेत्र रेलवे क्रासिंग के दक्षिण में तथा टिब्बी एवं हनुमानगढ़ जाने वाली सड़कों के तिराहे के पास विकसित हुआ है । विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 50 प्रतिशत भाग में ही उद्योग स्थापित है जथा शेष भूमि खाली पड़ी है। 1991 की जनगणना के अनुसार यहां पर कुल कार्यरत व्यक्तियों का 14.70 प्रतिशत औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत थे, जो वर्ष 2001 में बढ़कर 15 प्रतिशत ही हुआ है।

2.6.4 राजकीय :

2.6.4 (अ) सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय :

संगरिया उपखण्ड, तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय है। वर्तमान में संगरिया में 15 कार्यालय हैं जिसमें से 3 केन्द्र सरकार के, 7 राज्य सरकार के तथा 5 अर्द्ध–सरकारी कार्यालय हैं जिनमें नगर पालिका कार्यालय भी शामिल है। इन कार्यालयों में कुल 470 कर्मचारी नियोजित हैं।

इन कार्यालयों के अन्तर्गत 23 एकड़ भूमि काम में ली जा रही है । उप खण्ड अधिकारी कार्यालय, तहसील, न्यायालय, वन विभाग आदि कस्बे के पश्चिमी भाग में नहर की तरफ स्थित हैं। वर्ष 2009 में सरकारी कार्यालयों की स्थिति को तालिका संख्या– 4 में दर्शाया गया है :–

तालिका–4
सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय,संगरिया : 2009

क्र.सं.	कार्यालय	कार्यालयों की संख्या	कार्यरत कर्मचारी
1	केन्द्र सरकार के कार्यालय	3	65
2	राज्य सरकार के कार्यालय	7	195
3	अर्द्ध सरकारी कार्यालय	5	210
कुल		15	470

स्त्रोत – नगर नियोजन विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं नगर पालिका , संगरिया

2.6.5 आमोद–प्रमोद :

संगरिया कस्बे के तहसील कार्यालय के समीप खेल का एक बड़ा खुला मैदान है जिसका क्षेत्रफल लगभग 5.00 एकड़ है। महाविद्यालय परिसरों एवं बड़े विद्यालय परिसरों में विद्यार्थियों के लिये खेल के मैदान उपलब्ध हैं। नगर पालिका सीमा में कुल 4 छोटे–छोटे सार्वजनिक उद्यान हैं।

मनोरंजन की दृष्टि से यहां नेहरू पार्क एवं अक्कासीन क्लब है, जिसमें इण्डोर खेलों की सुविधा है। शहर में दर्शनीय स्थलों का अभाव होने के कारण पर्यटकों का आवागमन नगण्य है। संगरिया में आमोद–प्रमोद के लिये जो स्थल वर्तमान में उपलब्ध हैं, वह अपर्याप्त हैं। विकसित क्षेत्र का मात्र 0.49 प्रतिशत अर्थात 5 एकड़ भूमि ही आमोद–प्रमोद के काम में ली जा रही है।

2.6.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक :

संगरिया में कुल 185 एकड़ भूमि सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में ली जा रही है, जो विकसित क्षेत्र का 18.03 प्रतिशत है। संगरिया में वांछित योजना मानदण्डों की आनुपातिक दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं यथा शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधाएं धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल/ सामाजिक,सास्कृतिक तथा श्मशान व कब्रिस्तान का विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त नहीं है।

2.6.6 (अ)–शैक्षणिक :

संगरिया उच्च शिक्षा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा के लिये यहां एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है । यहॉ पर सामान्य शिक्षा, कृषि महाविद्यालय, होम साईन्स तथा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है । महिलाओं के लिए मीरा

कन्या महाविद्यालय लगभग 7 एकड़ क्षेत्र में अनाज मण्डी के दक्षिण–पश्चिम की ओर स्थित है। एक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय लगभग 6 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त अन्य उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा आदि के लिये विद्यार्थियों को अन्य शहरों में जाना पड़ता है। इस प्रकार संगरिया उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु आस– पास के क्षेत्र का शैक्षणिक केन्द्र है। कस्बे के विकास के साथ–साथ यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :–

तालिका–5
शैक्षणिक संरचना, संगरिया – 2009

क्र.सं	स्तर / कक्षा	आयु समूह	विद्यालय जाने योग्य छात्रों की संख्या	विद्यालय जा रहे छात्र		प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की औसत संख्या	विद्यालयों की संख्या
				संख्या	प्रतिशत		
1.	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	6–11	5305	3957	74.59	220	18
2	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	12–14	4510	3715	82.37	412	9
3	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9–12)	15–18	4625	6278	135.74	392	16

स्त्रोत – जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़

संगरिया में 18 प्राथमिक, 9 उच्च प्राथमिक एवं 16 सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालय हैं। माध्यमिक एवं सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने का कारण यह है कि संगरिया के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र यहां आकर अध्ययन कर रहे हैं।

2.6.6(ब) चिकित्सा सुविधाएँ :

संगरिया में एक राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है जो लगभग 5.55 एकड़ क्षेत्र में स्थित है । इसमें वर्तमान समय में 30 शैयाओं की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा लगभग 1000 व्यक्तियों पर एक शैया के औसत से उपलब्ध है । यहाँ एम्बुलेंस, एक्स–रे मशीन, ईसीजी आदि की सुविधा है तथा इसके समीप ही .20 एकड़ क्षेत्र में पशु चिकित्सालय स्थित है तथा एक मकान में आयुर्वेदिक अस्पताल चल रहा है । यहां रतनपुरा गांव से आगे एक पी.पी.एम. नाम से औषधालय है । औषधालय के लिये भवन एवं अन्य सुविधाओं का अभाव है। इसके अतिरिक्त यहां कुछ निजी क्लीनिक भी कार्यरत हैं।

2.6.6(स) सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/ऐतिहासिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :

संगरिया में सामाजिक/सांस्कृतिक गतिविधियां सामान्य स्तर की होने के कारण विभिन्न समुदायों के व्यक्ति यहां पर उपलब्ध रिक्त स्थलों में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शहर के विभिन्न स्थानों पर मंदिर, गुरूद्वारे इत्यादि धार्मिक स्थल हैं जिनमें स्थानीय लोग पूजा व प्रार्थनाएं करते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का यहां अभाव है। यहां पुलिस थाना शहर के दक्षिण में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सिंचाई विभाग के पास स्थित है तथा शहर में इसके अलावा कोई पुलिस चौकी नहीं है। एक दूरभाष

केन्द्र पुलिस स्टेशन के पास हैं व मुख्य डाकघर शहर के मध्य भाग में स्थित है। शहर में अग्नि शमन सेवा व सार्वजनिक पुस्तकालयों की सुविधा का अभाव है। यहां पर एक विश्राम गृह एवं दो धर्मशालाएं भी स्थित हैं। स्वामी केशवानन्द ग्रामोत्थान विद्यापीठ के परिसर में एक शैक्षणिक म्यूजियम लगभग एक एकड़ क्षेत्र में स्थित है ।

2.6.6(द) जनोपयोगी सुविधाएँ :

संगरिया कस्बे में जलापूर्ति व विद्युत जैसी परमावश्यक सेवाएँ संतोषजनक नहीं हैं। शहर में अभी तक मल–जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है।

2.6.6.द (1) जलापूर्ति :

संगरिया में जलापूर्ति का मुख्य स्त्रोत भाखड़ा नहर की एस.डी.एस. नहर है। शहर में प्रतिदिन 1800 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है। यह लगभग 58 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। शहर में कुल 4 ओवरहैड टैंक बने हुए है । संगरिया में जलापूर्ति के लिए विभिन्न प्रयोजनार्थ जारी किये गये कनेक्शनों को तालिका–6 में दर्शाया गया है:–

तालिका – 6
जलापूर्ति, संगरिया – 2009

क्रमांक	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1	घरेलू	4100
2	वाणिज्यिक	318
3	औद्योगिक	79
	कुल	4497

स्त्रोत : जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, संगरिया

2.6.6.द (2) मल–जल निकास व ठोस कचरा प्रबंधन :

संगरिया में मल–जल निकास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। वर्षा के पानी के निकास के लिये नालियों का उचित प्रावधान नहीं है जिससे वर्षा के मौसम में पानी इधर–उधर सड़कों पर भरा रहता है तथा यातायात में बाधा आती रहती है। नगर–पालिका ने कुछ स्थानों पर नालियों का निर्माण करवाया है, परन्तु अभी भी सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। शहर के अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक या सोक पिट की व्यवस्था है। शहर को स्वच्छ बनाये रखने के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है। संगरिया कस्बे में कचरा निस्तारण के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं होने से इसे इधर–उधर डाला जाता है, जिसकी वजह से गन्दगी के ढेर लग जाते हैं। अतः कचरा प्रबंधन किया जाना जरूरी है।

2.6.6.द(3) विद्युत आपूर्ति :

संगरिया में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत उपलब्ध कराई जाती है। शहर में कुल 4 मेगावाट बिजली सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट एवं भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना से प्राप्त होती है। यह 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन द्वारा वितरित की जाती है। यहां प्रतिदिन 1.16 लाख यूनिट बिजली की खपत है जबकि बढ़ती जनसंख्या एवं बढ़ते क्रियाकलापों के लिये अधिक बिजली की आवश्यकता है। संगरिया की विद्युत आपूर्ति को तालिका संख्या– 7 में दर्शाया गया है –

तालिका–7

विद्युत आपूर्ति, संगरिया – 2009

क्रमांक	उपयोग	कनेक्शनों की संख्या
1	घरेलू	15344
2	औद्योगिक	256
3	सड़कों की रोशनी	3
4	अन्य	1559
	कुल	17162

स्त्रोत : जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, संगरिया

2.6.6(य) – श्मशान एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थल शहर के अन्दरूनी हिस्सों में हैं क्योंकि पूर्व में जब श्मशान एवं कब्रिस्तान बने थे उस समय शहर की जनसंख्या बहुत ही कम थी तथा शहर का अधिक विकास नहीं हुआ था। एक श्मशान शहर के पश्चिमी भाग में तथा दूसरा दक्षिण में हनुमानगढ़ रोड़ के पूर्व में स्थित है तथा एक कब्रिस्तान गौशाला के दक्षिण में रेलवे लाइन के पास स्थित है ।

2.6.7 परिसंचरण

परिसंचरण में यातायात व्यवस्था,बस तथा ट्रक टर्मिनल एवं रेल सेवा सम्मिलित की जाती हैं, जिनके अन्तर्गत संगरिया में लगभग 139 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही हैं, जो विकसित क्षेत्र का 13.55 प्रतिशत है।

2.6.7(अ) यातायात व्यवस्था :

वर्ष 2003 तक नगर स्तर की सड़कों का विकास नहीं होने एवं नई मण्डी समिति कस्बे के बीचों–बीच स्थित होने के कारण तथा खुदरा एवं थोक व्यापार क्षेत्र शहर के सघन आबादी क्षेत्रों में स्थित होने के कारण यातायात का दबाव बहुत ही बदतर हालत में है। शहर के पुराने एवं आंतरिक भागों में सड़कों को यथासंभव चौड़ा करने की आवश्यकता है।

संगरिया कस्बा सादुल ब्रांच एवं रतनपुरा माईनर के मध्य लीनियर आकृति में बसा हुआ है। यहॉ पर कार्य स्थल मुख्य सड़कों पर तथा बाकी क्षेत्र आवासीय एवं अन्य उपयोगों के अंतर्गत है। मण्डी विकास समिति द्वारा आंतरिक सड़कें बनाई गई हैं। अब ये सड़कें यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गई हैं। आवासीय क्षेत्रों में सड़कों की चौड़ाई 50–60 फीट है तथा अन्य गलियां काफी संकरी है, जिनकी चौड़ाई लगभग 25–30 फीट है। संगरिया में यद्यपि भवन रेखा को कायम किया गया है तथा कुछ क्षेत्रों में फुटपाथ आदि पर कब्जे हो गये हैं। पुराने आवासीय क्षेत्रों में निर्माण सघनता से हुआ है तथा नई कॉलोनियों में सैटबैक आदि का काफी हद तक ध्यान रखा गया

है। औद्योगिक एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में सड़कों पर कब्जे कर उनकी वास्तविक चौड़ाई कम कर दी गई है जिसकी वजह से यहाँ पर यातायात के सुगम संचालन में काफी समस्या रहती है। मण्डी विकास समिति द्वारा विकसित की गई योजनाओं में पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध है लेकिन पुराने एवं अनाधिकृत रूप से बसी बस्तियों में पार्किंग का अभाव है।

2.6.7 (ब) बस तथा ट्रक टर्मिनल :

कस्बे में एक बस स्टेण्ड है जो बहुत ही अव्यवस्थित है । यहॉ से काफी समय से बसों का संचालन किया जा रहा है। इस बस स्टेण्ड पर पर्याप्त सुविधाऍ नहीं है। अतः महती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र प्रवर्तित आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अंतर्गत कस्बे में हनुमानगढ़ रोड़ पर एक नया बस स्टेन्ड 5 एकड़ क्षेत्र में बनाया गया है ।

2.6.7 (स) रेल एवं हवाई सेवा :

संगरिया ब्राड गेज लाईन द्वारा जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से भली–भांति जुड़ा हुआ है। यहां पर अभी हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध नहीं है।

3
नियोजन की संकल्पना

प्रत्येक नगर का अपना एक जीवन्त अस्तित्व होता है और इसका स्वरूप केवल मात्र किसी घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विकास के पीछे एक पूरा इतिहास पाया जाता है । इस प्रकार एक नगर के भौतिक स्वरूप और इसकी संरचना में उसके विकास के विभिन्न काल एवं अवस्थाओं के दौरान इसके निवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक विकास की छाप आवश्यक रूप से दिखाई देती है । समुदाय के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ–साथ नगरीय संरचना के प्रतिरूप में भी इतिहास काल के दौरान परिवर्तन होता रहता है ।

व्यावसायिक, परिवहन और सामुदायिक सुविधाओं के विकास ने नगरों को अपनी पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक प्रायोगिक विकास केन्द्रों का स्वरूप प्रदान किया है । पुराने शहरों के बाहरी इलाकों में बाजार, उद्यान, विद्यालय, कार्यालय आदि स्थापित किये जा चुके हैं । परिणाम स्वरूप तीव्रगति से विकास होने के कारण कस्बे में छितराये हुए विकास, संकुचित यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। अतः नगर नियोजन का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है ।

3.1 नियोजन की नीतियां :

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप, प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय करने का प्रयास किया जाता है । एक बार नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं तो दिन–प्रतिदिन कि समस्याओं पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढॉचे के

संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन नगर को अपने अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक कदम ओर आगे बढाता है । इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जा सकता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है ।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों और सिद्धान्तों का एक लिखित विवरण है । इसके साथ एक भू–उपयोग योजना तथा अन्य मानचित्र भी होते हैं । भू–उपयोग योजना इन नीतियों और सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में रूपान्तरित करने की विधि है । यह वृहद परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है । इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है । प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, जिन्हें बनाये रखने की प्रबल जन आकांक्षाएँ हो सकती है । अतः कतिपय मान्यताएँ निर्धारित करके उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है । इन्हीं उद्देश्यों के अनुरूप नियोजन की नीतियां निर्धारित की जाती है । इन नीतियों और उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को विकसित किया जाता है । उक्त बातों को आधार बनाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है । संगरिया अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में उक्त सभी बिन्दूओं की पालना की गयी है ।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :

संगरिया की बढ़ती जनसंख्या, नगर के विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले औद्योगिक एवं व्यावसायिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए भू–उपयोग के

अनुरूप भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित नियोजित विकास हो सके । उपारोक्तरी वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नाकिंत सिद्धान्त निश्चित किये गये हैं :–

1. कस्बे में खाली भूमि उपलब्ध है, जिन पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है । अतः इन सभी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करने की दृष्टि से एक एकीकृत एवं समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. संगरिया के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के लिए विस्तृत परिक्षण योजना तैयार की जानी चाहिए और नहर एवं जलाशय आदि के किनारे पर बाग एवं उद्यान विकसित किया जाना चाहिए ।
3. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में सुव्यवस्थित/एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए तथा नगर के समीप प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए ।
4. पुराने कस्बे में व्यावसायिक गतिविधियों को बढाावा नहीं दिया जाना चाहिए एवं स्थान तथा क्षेत्रीय मॉग को पूरा करने हेतु उपयुक्त स्थानों पर व्यावसायिक सुविधायें पदानुक्रम से विकसित की जानी चाहिए ।
5. संकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को निषेध करने और उसे अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान संधारित कर अनाज, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो भारी यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि आरक्षित की जानी चाहिए ।
6. आवासीय घनत्व के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सेवाओ का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए ।
7. नगर के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रमी व्यवस्था निश्चित की जाये जिससे विभिन्न चौड़ाई की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके।

8. नगर की परिधि पर किसी प्रकार से अनियन्त्रित विकास को रोकने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी बनाई जाए । परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियन्त्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए ।

9. संगरिया कृषि विपणन की एक प्रमुख मण्डी है। राजस्थान कॉलोनाईजेशन एक्ट 1958 के अन्तर्गत 1965 में राज्य सरकार द्वारा यह मण्डी भाखड़ा मण्डी के विकास के अधीन ली गयी तथा ''अ'' श्रेणी में रखा गया । 1960 के दशक में इन्दिरा गॉधी नहर परियोजना एवं भांखड़ा केनाल सिस्टम से सिंचाई सुविधा के कारण कृषि क्षेत्र मे तीव्र गति से विकास हुआ है और आज यह राजस्थान की एक प्रमुख मण्डी है। अतः इस मण्डी कस्बे का सुनियोजित विकास किया जाना चाहिए ।

4
भावी आकार

संगरिया के नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 11 राजस्व ग्रामों/चकों को सम्मिलित किया गया है जिनका कुल क्षेत्रफल 9472 एकड़ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार यहां की जनसंख्या 34541 है तथा वर्ष 2031 तक लगभग 77000 हो जाने का अनुमान है। इस बढ़ी हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न प्रयोजनार्थ भूमि की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विस्तृत योजना तैयार की गयी है।

4.1 जनसांख्यिकी :

वर्ष 1991 में संगरिया की जनसंख्या 25290 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 34541 हो गयी है । सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर सन् 1991 से 2001 दशक के मध्य 36.58 प्रतिशत रिकार्ड की गयी। इसका मुख्य कारण सिंचाई की सुविधा एवं नगरीय सुविधाओं का विकास एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता आदि रहे हैं। बाद के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आयी है, जिसका मुख्य कारण लोगों का शिक्षित होना, परिवार नियोजन को अपनाना तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई का जैसलमेर की तरफ विस्तार होना है। जिसकी वजह से लोगों का रूझान जैसलमेर की तरफ हो गया।

संगरिया ''अ'' श्रेणी की मण्डी होने के कारण राजस्थान की यह मण्डी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस मण्डी के कारण शहर के विकास को काफी गति मिली है। विकास की गति तथा भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक संगरिया की जनसंख्या लगभग 77000 हो जाएगी। अनुमान लगाते समय संगरिया एक प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण जनसंख्या वृद्धि के दोनों घटक प्राकृतिक वृद्धि तथा प्रवासी जनसंख्या को भी दृष्टिगत रखा गया है। सन् 1981 से 2031 तक संगरिया की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमानों को तालिका– 8 में दर्शाया गया है।

तालिका – 8 जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमानित जनसंख्या संगरिया – 1981 – 2031

वर्ष	जनसंख्या	जनसंख्या का अन्तर	प्रतिशत वृद्धि दर
1981	19002	–	–
1991	25290	+ 6288	33.09
2001	34541	+ 9251	36.58
2009	44000	+ 9459	27.38
2011	47060	+ 3060	6.95
2021	61366	+ 14306	30.40
2031	77000	+ 15634	25.47

4.2 व्यावसायिक संरचना :

वर्ष 2001 में संगरिया का सहभागिता अनुपात 31 प्रतिशत है। क्षितिज वर्ष 2031 में शहर की व्यावसायिक संरचना भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं और वर्तमान परिस्थितियों के साथ अन्य शहरों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया गया है। क्षितिज वर्ष तक कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात 33 प्रतिशत होने का अनुमान है अर्थात् वर्ष 2001 में 10017 कार्यशील व्यक्तियों की तुलना में सन 2031 में 25739 कामगारों की संख्या होने की संभावना है।यह अनुमान है कि संगरिया व्यापार एवं वाणिज्य, अन्य सेवाओं तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास करता रहेगा। इस प्रकार नगरीय गतिविधियों में वृद्धि के कारण खेतीहर मजदूरों के प्रतिशत में कमी आएगी तथा शेष क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत में वृद्धि होगी। क्षितिज वर्ष 2031 में व्यावसायिक संरचना और प्रत्येक श्रेणी में कार्यशील व्यक्तियों की संख्या का विवरण तालिका संख्या 9 में दर्शाया गया है :–

तालिका – 9 प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना, संगरिया : 2031

क्रमांक	व्यवसाय	कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत
1.	कृषि, उत्खनन व तत्संबंधी कार्य	1544	6
2.	उद्योग	4634	18
3.	निर्माण कार्य	1287	5
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	9523	37
5.	यातायात एवं संचार	1802	7
6.	अन्य सेवाएँ	6950	27
कुल कामगार		25739	100.00

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय अनुमान

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2031 में संगरिया में 37 प्रतिशत कामगार वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यकलापों में कार्यरत रहेंगे। औद्योगिक कार्यों में भी 18 प्रतिशत भागीदारी रहेगी। यातायात एवं संचार कार्यकलापों में 7 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 27 प्रतिशत रहने का अनुमान है। कस्बे की वृद्धि की प्रवृति को ध्यान में रखकर ही भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए समुचित प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

4.3 नगरीय क्षेत्र :

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.10 (209) नविवि/3/06 जयपुर, दिनांक 26.03.07 एवं दिनांक 26.04.10 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत संगरिया के नगरीय क्षेत्र में संगरिया सहित 11 राजस्व ग्राम/चक अधिसूचित किये गये हैं। इनका कुल अधिसूचित क्षेत्र 9472 एकड़ है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अनियोजित विकास को नियंत्रित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। अधिसूचित राजस्व ग्रामों / चकों की सूची परिशिष्ट – 3 एवं 4 पर दी गई है ।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :

संगरिया की जनसंख्या वर्ष 2009 में 44000 से बढ़कर मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 में 77000 होने का अनुमान है। योजना अवधि में लगभग 33000 व्यक्तियों की वृद्धि होगी। विकास के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए बढ़ी हुयी जनसंख्या के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु कुल 2379 एकड़ विकास योग्य क्षेत्र एवं 2433 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। नगर का प्रस्तावित जन घनत्व लगभग 32 व्यक्ति प्रति एकड़ होने का अनुमान है। भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान विकास की प्रवृत्ति से प्रतीत होता है कि नगरीय विकास अधिकतर दक्षिण की तरफ ही होगा। पूर्वी तरफ हरियाणा की सीमा होने के कारण तथा पश्चिम की तरफ नहर के कारण विकास की संभावनाएं कम आंकी गयी हैं।

4.5 योजना क्षेत्र :

विद्यमान विशेषताओं एवं आर्थिक क्रियाकलापों के लिए भू–उपयोग सहित प्राकृतिक स्थिति तथा विभिन्न गतिविधियों के पारस्परिक संबंधों को ध्यान में रखते हुए

संगरिया को तीन योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। परिधि नियंत्रण क्षेत्र को छोड़कर शेष प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवासीय, वाणिज्यिक, आमोद–प्रमोद, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की दृष्टि से आत्म निर्भर होंगे।

तालिका – 10

योजना क्षेत्र, संगरिया : 2031

क्रमांक	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल (एकड़ में)
ट	उत्तर–पश्चिमी योजना क्षेत्र	975
ठ	दक्षिण–पूर्वी योजना क्षेत्र	1404
स्	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	7093
कुल प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र		9472

स्त्रोत – नगर नियोजन विभाग का आकलन

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में राजस्व ग्राम का नाम, विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र, सन् 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

4.5 (अ) उत्तर–पश्चिमी योजना क्षेत्र :

यह योजना क्षेत्र हनुमानगढ़–भटिण्डा रेलवे लाईन से उत्तरी–पश्चिमी भाग की तरफ दर्शाया गया है। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 975 एकड़ है । इस योजना क्षेत्र में राजकीय कार्यालय 23 एकड़ में, कृषि विज्ञान केन्द्र 10 एकड़ में, होम साईन्स कॉलेज 4 एकड़ में, हास्पीटल, धान मण्डी, पुराना बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन, हैड पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्स्चेंज व अन्य राजकीय कार्यालय प्रस्तावित किये गये है। क्षितिज वर्ष 2031 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में कुछ विद्यालय, सामुदायिक सुविधाएँ एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

4.5 (ब) दक्षिण–पूर्वी योजना क्षेत्र :

यह योजना क्षेत्र हनुमानगढ़–भटिण्डा रेल्वे लाइन के दक्षिणी–पूर्वी भाग में स्थित है । इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1404 एकड़ है । इस योजना क्षेत्र में स्वामी केशवानद कॉलेज, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डेयरी फार्म, स्टेडियम, कॉलेज, हास्पीटल, नई धान मण्डी, नया बस स्टेण्ड, औद्योगिक क्षेत्र, सामुदायिक केन्द्र, भण्डारण एवं गोदाम, जनोपयोगी सुविधाएँ तथा राजकीय कार्यालय स्थित है ।

4.5 (स) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र :

उपरोक्त तीनों क्षेत्रों तथा नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय सीमा के मध्य का क्षेत्रफल परिधि नियंत्रण पट्टी के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में ग्रामीण आबादी के विद्यमान स्वाभाविक विकास के साथ–साथ कृषि, वृक्षारोपण, डेयरी फार्मिंग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फार्म हाउस, रिसोर्ट, उत्खनन आदि अन्य संबंधित गतिविधियां अनुज्ञेय हैं। शहर के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का अहम् महत्त्व रहेगा। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7093 एकड़ है।

5
भू–उपयोग योजना

भू–उपयोग योजना विभिन्न योजनागत नीतियों और सिद्धान्तों का स्थानिक विस्तार के रूप में है। इसकी रचना नगर की विद्यमान विशेषताओं एवं सम्भावित आर्थिक संरचना के आधार पर की गयी है। नगरीय भूमि एक दुर्लभ संसाधन है अतः इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो, समस्त नागरिकों की आवश्यकताओं तथा विधि–सम्मत आकांक्षाओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए। सम्पूर्ण अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास इसका प्रमुख लक्ष्य है। विद्यमान परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न अध्ययनों के आधार पर नियोजन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है और उन्हीं के अनुरूप विभिन्न नगरीय कार्यों के लिए भूमि की आवश्यकताओं का आकलन किया गया है। क्षेत्र विशेष की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए भू–उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय कार्यों की स्थल स्थिति की पहचान दर्शायी गयी है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु मदवार भू–उपयोग के लिए उपयुक्त घनत्व के नार्म्स का आकलन कर मदवार आधार वर्ष 2009 में भू–उपयोग में कमी/अधिकता, मदवार वर्ष 2009–2031 के दौरान अतिरिक्त जनंसख्या के लिए आवश्यकता, क्षितिज वर्ष के भू–उपयोग प्रस्तावों के फलस्वरुप आधार वर्ष के भू–उपयोग में कमी/अधिकता तथा क्षितिज वर्ष 2031 में कुल आवश्यक क्षेत्रफल एकड़ में आकंलित किया गया हैं।इस प्रकार क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए प्रस्तावित भू–उपयोग हेतु कुल 2376 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के अधीन प्रस्तावित की गयी है। उक्त विकास योग्य क्षेत्र का 48.19 प्रतिशत आवासीय, 7.79 प्रतिशत वाणिज्यिक, 8.16 प्रतिशत औद्योगिक, 3.37 प्रतिशत राजकीय–सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय, 12.66 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक, 3.96 प्रतिशत

आमोद–प्रमोद तथा 15.87 प्रतिशत परिसंचरण हेतु प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भू–उपयोग विवरण तालिका– 11 में दर्शाया गया हैः–

तालिका – 11
प्रस्तावित भू–उपयोग, संगरिया– 2031

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल(एकड़में)	कुल विकस योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	1145	48.19	47.06
2.	वाणिज्यिक	185	07.79	07.60
3.	औद्योगिक	194	8.16	7.98
4.	राजकीय	80	3.37	3.29
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	301	12.66	12.37
6.	आमोद–प्रमोद	94	3.96	3.87
7.	परिसंचरण	377	15.87	15.49
कुल विकसित क्षेत्र		2376	100.00	97.66
8.	कृषि	32	–	1.31
9.	जलाशय/नाले आदि	25	–	1.03
कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र		2433	–	100.00

5.1 आवासीय :

आवासीय क्षेत्रों की योजना इस ढंग से तैयार की गयी है कि इनसे स्वस्थ सामुदायिक पर्यावरण को प्रोत्साहन मिले तथा कार्य केन्द्रों और आमोद–प्रमोद के स्थलों तक जाने के लिए समय और दूरी में कमी हो। नियोजन नीति के अनुसार युक्तिसंगत आवासीय विकास नागरिकों को सुविधाजनक जीवन प्रदान कर सकेगा, जिनमें सांस्कृतिक एवं सामाजिक संबंध प्रगाढ़ होंगे और लोगों को आवासीय बस्तियों के

निकट दिन–प्रतिदिन की लोकोपयोगी सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इस दृष्टि से लगभग 77000 लोगों को बसाने के लिए 1145 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गयी है।

मास्टर प्लान में तीन प्रकार के आवासीय घनत्व रखे गये हैं। शहर में पुराने भाग में आवासीय घनत्व 150 व्यक्ति प्रति एकड़ से अधिक होगा, जबकि कार्यस्थलों और वर्तमान अर्द्ध विकसित क्षेत्र के पास लगने वाले क्षेत्रों में जन घनत्व 100–150 व्यक्ति प्रति एकड़ प्रस्तावित है। इसके साथ–साथ योजना के नियोजन मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए नये आवासीय क्षेत्र 50–100 व्यक्ति प्रति एकड़ की सघनता के साथ विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। संगरिया में 2 कच्ची बस्तियां भी बसी हुयी हैं। ऐसे क्षेत्रों में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत इनके सुधार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है।
आधार वर्ष 2009 में संगरिया में विकसित क्षेत्र का 58.77 प्रतिशत भाग अर्थात 603 एकड़ क्षेत्र आवासीय उपयोग के अन्तर्गत था। इस तरह आवासीय जन घनत्व कुल 74 व्यक्ति प्रति एकड़ आता है, जिसे क्षितिज वर्ष 2031 तक 66 व्यक्ति प्रति एकड़ किया जाना प्रस्तावित है। फल स्वरुप आधार वर्ष की जनसंख्या के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ 269 एकड क्षेत्र की कमी का आंकलन किया गया है। वर्ष 2009–2031 के दौरान अतिरिक्त जनसंख्या के लिए 273 एकड़ और अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। इस तरह क्षितिज वर्ष 2031 के लिए आवासीय प्रयोजनार्थ कुल 1155 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.1 (1) आवासन :

आवास समुदाय की एक मूल आवश्यकता है और इसके अन्तर्गत सर्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। अतः यहां यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका आवास परियोजना तैयार करे और समाज के कमजोर वर्गों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराये। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भूखण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि लोगों की आवासीय मांग को पूरा किया जा सके।

5.1 (2) अनौपचारिक सैक्टर की योजना :–

वर्तमान में पुराने विकसित क्षेत्रों में अनौपचारिक सैक्टर का कोई प्रावधान नहीं है । लेकिन कस्बे में अव्यवस्थित रूप से कुछ छोटे–छोटे व्यवसाय चल रहे हैं । अतः इनको व्यवस्थित रूप से बसाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप भविष्य में विकसित की जाने वाली योजनाओं में अनौपचारिक सैक्टर हेतु उचित स्थल आरक्षित किये जावेंगे ।

5.1 (3) कच्ची बस्तियां :–

नगरपालिका को चाहिए कि भविष्य में कच्ची बस्तियों व अनियोजित आवासीय क्षेत्रों के विस्तार को हतोत्साहित करने के प्रयोजन से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों एवं असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाए तथा विद्यमान कच्ची बस्तियों के क्षेत्रों का नियोजित विकास एवं सुधार चरणबद्ध क्रम में किया जावे ।

5.2 वाणिज्यिक :

संगरिया वाणिज्यिक, व्यापार एवं वितरण का एक प्रमुख केन्द्र बना रहेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2031 तक शहर के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में कुल कार्यशील व्यक्तियों का 37 प्रतिशत (9523 व्यक्ति) कार्यरत रहेंगे। मास्टर प्लान में कुल 185 एकड़ क्षेत्रफल इन क्रियाकलापों हेतु प्रस्तावित किया गया है। संगरिया में भौतिक विकास के साथ–साथ वाणिज्यिक गतिविधियों का भी विकास हुआ है। पिछले दो दशको में शहर के प्रमुख मार्गो पर वाणिज्यिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण यातायात व पार्किंग की समस्या बढ़ रही है। कस्बे में वाणिज्यिक गतिविधियाँ मुख्य रुप से आंतरिक भाग में रेल्वे स्टेशन से मुख्य सड़क के दोनों ओर केन्द्रित है। वाणिज्यिक गतिविधियों को अधिक तार्किक व सुसगंत बनाने तथा दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु अनावश्यक आवागमन से बचने के लिए मास्टर प्लान में वाणिज्यिक गतिविधियों की पदानुक्रम व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ताकि क्षेत्र में वाणिज्यिक सुविधाएं सहज ही उपलब्ध हो सके। वर्ष 2001 में वाणिज्यिक गतिविधियों में 3506 व्यक्ति कार्यरत थे, जो क्षितिज वर्ष में 9523 व्यक्ति होने की सम्भावना है। आधार वर्ष में विकसित क्षेत्र का 4.09 प्रतिशत भाग अर्थात 42 एकड़ क्षेत्र वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

भू–उपयोग के अन्तर्गत था, जो क्षितिज वर्ष 2031 में 07.79 प्रतिशत अर्थात 185 एकड़ प्रस्तावित किया गया है। विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान में प्रस्तावित पदानुक्रम वाणिज्यिक गतिविधियों का विवरण तालिका–12 में दर्शाया गया है:–

तालिका – 12
प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, संगरिया : 2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र	30
2.	थोक व्यापार एवं विशेष बाजार	56
3.	भण्डारण एवं गोदाम	63
4.	वाणिज्यिक केन्द्र	36
योग		185

स्त्रोत – नगर नियोजन विभाग का आकलन

5.2 (1) केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र :

शहर का मुख्य बाजार क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक केन्द्र माना जाता है। वर्तमान में केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र कस्बे का आंतरिक भाग एवं उसके आसपास का क्षेत्र है एवं इसके विस्तार के लिए भीतरी भागों में अधिक सम्भावना नहीं है। कुछ थोक व्यापार एवं भण्डारण वाले क्षेत्रों को बाहरी क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है क्योंकि यहां पर यातायात, पार्किंग एवं सामान ले जाने की समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। यहां पर उपलब्ध खाली स्थलों का चयन कर पार्किंग स्थल विकसित किये जाने का प्रस्ताव है। मास्टर प्लान में एस.टी.सी. स्कूल के पास, प्रस्तावित पशु चिकित्सालय के पूर्व में, प्रस्तावित राजकीय कार्यालय के उत्तर–दक्षिण में तथा डबवाली जाने वाली सड़क पर कुल 30 एकड़ क्षेत्र केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया गया है।

5.2 (2) थोक व्यापार एवं विशेष बाजार :

संगरिया में थोक व्यापार केन्द्र अभी तक कस्बे के मध्य भाग में स्थित है तथा घने क्षेत्रों में आ गया है। मास्टर प्लान में वर्तमान थोक व्यापार क्षेत्र को यथावत रखते हुए डबवाली बाईपास पर लगभग 56 एकड़ भूमि का प्रस्ताव किया गया है।

5.2 (3) भण्डारण एवं गोदाम :

औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से कस्बे में अतिरिक्त भण्डारगृहों एवं गोदामों की जरूरत होगी। अतः मास्टर प्लान में औद्योगिक क्षेत्र के उत्तर में थोक व्यापार स्थल के समीप तथा रतनपुरा गांव के पास लगभग 53 एकड़ क्षेत्रफल में गोदाम प्रस्तावित किया गया है ताकि पास में स्थित भवन निर्माण बाजार, ट्रांसपोर्ट नगर एवं औद्योगिक उत्पादन के लिए गोदामों की समुचित सुविधा उपलब्ध हो सके।

5.2 (4) वाणिज्यिक केन्द्र :

पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में आज यातायात संबंधी अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पुराने व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र शहर के केन्द्र में घने बसे भागों में स्थित हैं, जहॉ पर न तो पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है एवं न ही सामान को लादने एवं उतारने की सुविधा उपलब्ध है। अतः केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र से यातायात के भार को कम करने के लिए तथा व्यापार को उचित स्थानों पर वितरित किये जाने के लिए संगरिया मास्टर प्लान में 9 वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं तथा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि शहर के चारों तरफ व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्ध हो सके। वाणिज्यिक केन्द्र में खुदरा वाणिज्यिक दुकानें, सिनेमा, होटल, पेट्रोल पम्प एवं सामुदायिक भवन आदि सुविधाऐं उपलब्ध होंगी। इस हेतु विभिन्न स्थानों पर कुल 36 एकड़ क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

वाणिज्यिक केन्द्रों के अतिरिक्त मास्टर प्लान में बहुत सी स्थानीय एवं सुविधाजनक दुकानों का भी प्रावधान किया गया है। इनकी स्थिति विस्तृत योजना बनाते समय दर्शायी जायेगी । ये केन्द्र योजना क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र से 15 से 20 मिनट के समय की दूरी पर स्थित होंगे। योजना क्षेत्रों में दैनिक उपयोग की वस्तुओं की खरीददारी करने के लिए स्थानीय दुकानें भी प्रस्तावित की गयी हैं।

5.3 औद्योगिक :

भाखड़ा नहर एवं इन्दिरा गांधी नहर के आने के बाद संगरिया में औद्योगिक विकास काफी हुआ है तथा भविष्य में औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। नहर का मीठा पानी उद्योगों की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संगरिया में 2001 में औद्योगिक रोजगारों में 1502 व्यक्तियों की तुलना में 2031 में 4634 लोग हो जाऐंगे। अतः स्पष्ट है कि संगरिया में औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या काफी बढ़ेगी। संगरिया में लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योगों का विस्तार होगा। विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के सक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण तालिका –13 में दर्शाया गया है।

तालिका – 13

औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग का विवरण, संगरिया – 2031

क्र.सं.	औद्योगिक क्षेत्र	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल(एकड़ में)
1	2	3	4	5
<u>विद्यमान</u> 1.	दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र	1	रेलवे क्रासिंग के दक्षिण में टिब्बी तिराहे के पास	29
योग				29
<u>प्रस्तावित</u> 1. दक्षिणी औद्योगिक क्षेत्र		1	टिबी रोड़ पर बाईपास के दक्षिण में	165
योग				165
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 29+165				194

शहर की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र से सटते हुए एक नया क्षेत्र भविष्य के विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। घरेलू एवं सर्विस उद्योगों को आवासीय तथा व्यापारिक क्षेत्रों में ही रहने दिया जाएगा। एक अकेला उद्योग किसी भी तरह योजनाबद्ध औद्योगिक विकास का लाभ नहीं ले सकता है अतः संतुलित औद्योगिक विकास के लिए सभी उद्योगों को एक ही स्थान पर स्थापित कर उनको योजनाबद्ध ढंग से विकसित किया जाना जरूरी होता है। अतः इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विद्यमान 29 एकड़ पुराने औद्योगिक क्षेत्र के अलावा इससे थोड़ा आगे दक्षिण की तरफ लगभग 165 एकड़ क्षेत्र औद्योगिक विकास हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार मास्टर प्लान में औद्योगिक प्रयोजनार्थ कुल 194 एकड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है।

5.4 राजकीय :

5.4 (1) सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय :

वर्तमान में सरकारी कार्यालयों हेतु संगरिया में कोई व्यवस्थित परिसर स्थापित नहीं है। विभिन्न सरकारी कार्यालय अलग–अलग स्थलों पर स्थापित हो गये है, जिसमें उपखण्ड कार्यालय, नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी समिति, वन विभाग आदि प्रमुख हैं। राजकीय क्षेत्र में लगभग 918 व्यक्ति कार्यरत हैं। विभिन्न सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों को स्थापित करने हेतु मास्टर प्लान के दक्षिणी–पश्चिमी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थानों के मध्य स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए कुल 80 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है। विद्यमान सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों का विवरण तालिका–14 में दर्शाया गया है।

तालिका – 14
राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग विवरण संगरिया 2031

क्र.सं.	सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालय	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान 1.	सरकारी व अर्द्धसरकारी कार्यालय	8	तहसील एस.डी.एम. कोर्ट एवं के.यू.एम.एस. के पास, अन्य पी.एच.ई.डी एवं सिंचाई विभाग कार्यालय	23
योग				23
प्रस्तावित 1. दक्षिणी–पूर्वी योजना क्षेत्र		2	डबवाली बाईपास के उत्तर में	57
योग				57
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 23+57				80

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5.5 आमोद–प्रमोद

5.5 (1) उद्यान एवं खुले स्थल :

उद्यान एवं खुले स्थल सामान्यतः शहर के फेफड़े होते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा काफी सीमा तक नगर वासियों के सामाजिक एवं मौलिक स्वास्थ्य का लाभ होता है। कस्बे की जनसंख्या वृद्धि के कारण पुराने पार्क एवं खुले स्थल नगरीयकरण का भारी दबाव झेल रहे हैं तथा वर्तमान विद्यमान भू–उपयोग में 5 एकड़ क्षेत्रफल दर्शाया गया है। अतः सिर्फ 5 एकड़ भूमि इस प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। इसकी पूर्ति के लिए दोनों योजना क्षेत्रों में लगभग 89 एकड़ और अतिरिक्त भूमि का मास्टर प्लान में उद्यान एवं खुले स्थलों का यथोचित स्थलों पर प्रावधान रखा गया है।

5.5 (2) स्टेडियम :

संगरिया में वर्तमान में कोई भी स्टेडियम व खेल मैदान नगरीय स्तर के नहीं हैं, जहां पर सामाजिक गतिविधियां हो सकें। इसीलिए शहर की आवश्यकता को मद्दे नजर रखते हुए डबवाली बाईपास सड़क पर लगभग 32 एकड़ क्षेत्रफल में एक बड़ा स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है। यह स्टेडियम कॉलेज के पास में ही प्रस्तावित किया गया है ताकि छात्र–छात्राओं के खेलकूद आदि के लिए भी सुविधाजनक हो सके।

विद्यमान आमोद–प्रमोद की सुविधाओं के संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावो का विवरण तालिका–15 में दर्शाया गया है।

तालिका – 15
आमोद–प्रमोद, संगरिया 2031

क्र.सं.	आमोद–प्रमोद कार्यालय	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान 1	पार्क व खुले स्थल	2	अनेक	5.00
योग				4.01
प्रस्तावित 1.	स्टेडियम	1	डबवाली बाईपास पर	32.00
2.	पार्क एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र	स्टेडियम के पास विभिन्न स्थलों पर		57.00
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 5 + 89				94.00

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक :

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक,चिकित्सा,अन्य सामुदायिक सुविधाएँ, सामाजिक–सांस्कृतिक,धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल,जनोपयोगी सुविधाएँ तथा श्मशान व कब्रिस्तान आदि सुविधाएँ सम्मिलित है। संगरिया की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई परन्तु सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार व विकास नहीं होने से वर्तमान में उपलब्ध सुविधाएँ अपर्याप्त है। इन समस्त सुविधाओं को शहर के निवासियों को उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। अतः आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं आदि तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सुविधाओं के लिए मास्टर प्लान में लगभग 316 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। विभिन्न सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं के अंतर्गत कुल क्षेत्र का विवरण तालिका–16 में दर्शाया गया है:–

तालिका – 16
सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं का मूल उपयोग का विवरण, संगरिया – 2031

क्र.सं	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाएँ	कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)
1.	शैक्षणिक	150
2.	चिकित्सा	37
3.	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	37
4.	धार्मिक / ऐतिहासिक / सामाजिक / सांस्कृतिक	30
5.	जनोपयोगी सुविधाएँ	37
6.	शमशान एवं कब्रिस्तान	10
	योग	301

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय आकलन एवं प्रस्ताव

5.6 (1) शैक्षणिक :

संगरिया उपखण्ड व तहसील मुख्यालय होने के कारण एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केन्द्र है। बड़ा कस्बा होने के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी यहां पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। यहां पर सरकार की नीतियों एवं भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर सन 2031 तक शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 150 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। इस नीति के आधार पर शहर की अनुमानित जनसंख्या के लिए विभिन्न स्तर के विद्यालयों का प्रावधान रखा गया है।

प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छोटे एवं दोहरी पारी वाले विद्यालयों की सुविधाएं आवासीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध करायी जायेंगी। अतः इनकी स्थिति मास्टर प्लान भू–उपयोग योजना में नहीं दर्शायी गयी है। जब आवासीय क्षेत्रों के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार की जाएंगी तब इस स्तर की शैक्षणिक सुविधाओं को दर्शाया जायेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र

पर दर्शायी गयी है। वर्तमान में अधिकांश शैक्षणिक संस्थाएँ शहर के उत्तरी–पूर्वी क्षेत्रों में स्थित हैं। अधिकांशतः विद्यालय ग्रामोद्योग विद्यापीठ की है। कन्या महाविद्यालय पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित है । नगर के समस्त क्षेत्रों में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध हो इसलिए मास्टर प्लान में शहर के उत्तर में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए दोनों योजना उपक्षेत्रों में स्थलों का प्रावधान किया गया है। पुरानी आबादी क्षेत्रों में कार्यरत विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने का भी प्रस्ताव है। नये शैक्षणिक संस्थान दक्षिणी–पूर्वी योजना क्षेत्र में प्रस्तावित किये गये हैं । मास्टर प्लान में बाईपास सड़क पर स्टेडियम के पास एक नया कॉलेज तथा विभिन्न स्थलों पर 3 सीनियर सैकण्डरी विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं । प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना को तालिका –17 में दर्शाया गया है –

तालिका – 17
प्रस्तावित शैक्षणिक संरचना, संगरिया : 2031

क्र.स	स्तर / कक्षा	आयु समूह	विद्यालय जाने योग्य छात्रों की संख्या	विद्यालय में जाने वाले छात्रों का सम्भावित प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (1–5)	6–11	7612	90	28
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (6–8)	12–14	5315	80	32
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (9–12)	15–18	5980	80	19

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय आकलन

5.6 (2) चिकित्सा :

संगरिया में एक राजकीय चिकित्सालय एवं एक डिस्पेंसरी कार्यरत है। यहाँ पर लगभग 30 शैय्याओं की सुविधा है। यह सुविधा शहर की भावी जनसंख्या के लिए

अपर्याप्त है । इस सामुदायिक चिकित्सालय के पास विस्तार हेतु भूमि उपलब्ध नहींहै । अतः मास्टर प्लान में दो चिकित्सालय एक–एक दोनों योजना क्षेत्रों में प्रस्तावित किये गये हैं। इसके अलावा सभी सैक्टरों की जब विस्तृत योजना तैयार की जाऐगी उस समय आवश्यकतानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं डिस्पेंसरी हेतु स्थल आरक्षित किये जा सकेंगे। विद्यमान चिकित्सा सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावों का विवरण तालिका–18 दर्शाया गया है ।

तालिका – 18
चिकित्सा सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, संगरिया 2031

क्र.सं.	चिकित्सा सुविधा का स्तर	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान	अस्पताल डिस्पेंसरी पशु अस्पताल	1 1 1		5.65 0.25 0.20
योग				6.10
प्रस्तावित 1	अस्पताल एवं पशु चिकित्सालय	3	(i) हनुमानगढ़ रोड़ के पूर्व में (ii) प्रस्तावित बाईपास के पूर्व में (iii) पशु चिकित्सालय पुराने औद्योगिक क्षेत्र के सामने	11 7 13
योग				31
कुल योग 6.10 + 31				37

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (3) अन्य सामुदायिक सुविधाएँ :

मास्टर प्लान में विभिन्न सामुदायिक सुविधाएँ जैसे डाकघर, पुलिस थाना, अग्निशमन केन्द्र, युवा केन्द्र, पुस्तकालय, वाचनालय एवं रंगमंच आदि का आवश्यकता अनुसार प्रावधान रखा गया है। ऐसी सुविधाओं के लिए कई स्थल मास्टर प्लान में उचित स्थानों पर प्रस्तावित किये गये हैं। अन्य सामुदायिक सुविधाओं के प्रयोजनार्थ लगभग 37 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गयी है। ऐसी सुविधाएँ जिससे एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होता है जैसे बारातघर आदि का प्रावधान भी अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि में किया जा सकता है। विद्यमान सामुदायिक सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावो का विवरण तालिका–19 में दर्शाया गया है :–

तालिका – 19

अन्य सामुदायिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, संगरिया– 2031

क्र.सं.	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल(एकड़ में)
1	2	3	4	5
विद्यमान 1.	डाकघर,/टेलीफोन केन्द्र/पुलिस थाना आदि	अनेक	शहर के मध्य में	11
योग				11
प्रस्तावित 1.	अन्य सामुदायिक सुविधाएँ	3	(i)प्रस्तावित बाई पास के पूर्व में (ii) स्टेडियम के पास) (iii) बाईपास के उत्तर में	8 12 6
योग			**26**	
कुलयोग(विद्यमान+प्रस्तावित)11+26			**37**	

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6 (4) जनोपयोगी सुविधाएँ :

जनोपयोगी सुविधाओं में पेयजल वितरण, विद्युत आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, मल जल निकास इत्यादि सम्मिलित है। नगर में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण इन सेवाओं पर अतिरिक्त भार बढ़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि इन समस्याओं को हल करने की दिशा में आवश्यक प्रयास किये जावें। संगरिया में वर्तमान में जनोपयोगी सुविधाएँ तथा जलापूर्ति, मल–जल निकास आदि के उपयोग के अन्तर्गत 11 एकड़ क्षेत्र है । शहर की भावी आवश्यकताओं के मध्यनजर जनोपयोगी सुविधाओं का संक्षिप्त उल्लेख के साथ–साथ मास्टर प्लान के प्रस्तावो का विवरण तालिका–20 में दर्शाया गया है।

तालिका – 20

जनोपयोगी सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, संगरिया 2031

क.सं.	जनोपयोगी सुविधाऐं	संख्या	स्थिति	क्षेत्रफल(एकड़ में)
1	2	3	4	5
<u>विद्यमान</u> 1.	जलापूर्ति विद्युत आपूर्ति टेलीफोन एक्सचेंज	1 1 1	गुलाब बस्ती के पास शहर के मध्य में धान मण्डी के पास	5 3 3
योग				**11**
<u>प्रस्तावित</u> 1.	स्थल	2	(i) उत्तर में सादुल ब्रांच से सटते हुए (ii) दक्षिण में हनुमानगढ़ रोड़ के पूर्व में 1 किलोमीटर स्टोन पर	18 8
योग			**26**	
कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित) 11 + 26			**37**	

स्त्रोत – नगर नियोजन विभागीय सर्वेक्षण एवं आकलन

5.6.4 (अ)–जलापूर्ति :

संगरिया में भाखड़ा नहर की सादुल ब्रांच डिस्ट्रीब्यूटरी से जलापूर्ति की जाती है। वर्तमान में प्रतिदिन शहर में 2,200 किलोलीटर पानी वितरित किया जाता है। लेकिन बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी। अतः भविष्य में जलापूर्ति के लिए शहर के उत्तर में ढाब व सादुलशहर सड़क के तिराहे पर तथा दक्षिण में राजकीय कार्यालयों के पास फिल्टर प्लाण्ट लगाये जाने प्रस्तावित हैं।

5.6.4 (ब)– मल–जल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :

संगरिया में मल–जल निस्तारण की समुचित व्यवस्था का अभाव है। यहां पर अभी तक वर्षा के पानी की निकासी का भी उचित प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण वर्षा का पानी सड़कों पर फैला रहता है। शहर में अभी तक सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। अधिकांश मकानों में सैप्टिक टैंक की व्यवस्था है तथा शेष जनता प्राचीन पद्धति का ही उपयोग करती है। इस कारण आस–पास का वातावरण दूषित होने के साथ–साथ भूमिगत जल के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है।

स्वच्छ शहर के लिए सीवरेज प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य को गंदगी के कुप्रभावों से बचाया जा सके। संगरिया कस्बे में अभी तक कोई भी कचरा प्रबंधन नहीं है। शहर का कचरा अभी तक इधर–उधर गड्ढों में डाला जाता है जिसकी वजह से गन्दगी के ढेर लग जाते हैं तथा बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। अतः कचरा प्रबन्धन केन्द्र स्थापित किया जाना जरूरी है। नगर पालिका स्तर पर ठोस कचरा निस्तारण हेतु परिधि नियंत्रण क्षेत्र में उचित स्थान पर भूमि का चयन किये जाने की प्रक्रिया चल रही है।

5.6.4 (स)–विद्युत आपूर्ति :

शहर में सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट व भाखरा नांगल विद्युत परियोजना द्वारा 4 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है और प्रतिदिन 0.55 लाख यूनिट की खपत होती है । अतः मांग एवं आपूर्ति में काफी अन्तर है । शहर में होने वाले विकास एवं विभिन्न सेक्टरों में बढ़ते आर्थिक क्रियाकलापों हेतु और अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। अतः सुझाव है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड उचित विद्युत आपूर्ति हेतु

एक प्लान तैयार करे ताकि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सके तथा यह भी सुझाव है कि दोनों स्त्रोतों का अच्छा सामंजस्य हो ताकि विद्युत आपूर्ति सुचारू रहे।

5.6 (5) श्मशान एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में शहर में स्थित श्मशान घाटों और कब्रिस्तान को यथावत रखा गया है परन्तु जो श्मशान और कब्रिस्तान शहर के विकसित क्षेत्रों में स्थित हैं उनमें चार दिवारी के साथ–साथ सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ताकि वातावरण पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नये श्मशानघाटों और कब्रिस्तानों को मांग के अनुसार परिधि नियंत्रण क्षेत्र में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7 परिसंचरण :

संगरिया की परिसंचरण व्यवस्था यहां के भावी भू–उपयोग प्रस्तावों का अभिन्न अंग है। परिसंचरण हेतु विभिन्न प्रमुख मार्गों की चौड़ाई, पार्किंग व्यवस्था एवं यातायात प्रणाली को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, कि जनता के आवागमन के लिए उत्कृष्ट यातायात व्यवस्था संचालित की जा सके। नगर के विभिन्न सड़कों के मार्गाधिकार वहां पर आवागमन होने वाले यातायात के अनुरूप निर्धारित किये गये हैं।

5.7 (1) अ–प्रस्तावित यातायात संरचना :

बाईपास/बाह्य मार्ग 200 फीट, प्रमुख सड़कें 100 फीट, उप प्रमुख सड़कें 80 फीट, मुख्य सड़कें 60 फीट प्रस्तावित की गयी हैं। उप प्रमुख सड़कें सभी महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ेगी एवं अधिकतम वाहन (यातायात) इन्हीं सड़कों से होकर गुजरेंगे। अन्य सड़कें विभिन्न आवासीय क्षेत्रों तथा कार्यस्थलों को पहुंच प्रदान करेगी। ये सभी सड़कें मुख्य यातायात प्रणाली का भाग हैं। बाह्य मार्ग हनुमानगढ़ रोड़ , सादुलशहर रोड़ व अबोहर रोड़ को जोड़ने वाला शहर के पश्चिमी दिशा में प्रस्तावित बाह्य मार्ग 200 फीट, शहर में से होकर डबवाली जाने वाली विद्यमान प्रमुख सड़क का मार्गाधिकार 100 फीट प्रस्तावित है।

नायवाना गॉव व सादुलशहर को नगरीय क्षेत्र में से होकर जाने वाली सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में योजना क्षेत्र के अनुसार वर्तमान जो भी चौड़ाई उपलब्ध हो अथवा 100 फीट जो भी अधिक हो, रखी जायेगी । पुराने बसे हुए गाँवों के क्षेत्र में स्थित पुरानी

सड़कों की चौड़ाई यथावत रखी गई है तथा अन्य सड़कों की चौड़ाई पूर्व में स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप ही रखी गई है। सड़कों के मानदण्ड़ों के अनुसार मार्गाधिकार को तालिका संख्या–21 में दर्शाया गया हैं –

तालिका–21

प्रस्तावित सड़कों का मार्गाधिकार, संगरिया : 2031

क्रमांक	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार (फीट में)
1.	बाइपास / बाह्यमार्ग	200
2.	प्रमुख सड़कें	100
3.	उप प्रमुख सड़कें	80
4.	मुख्य सड़कें	60

5.7 (1) ब–सड़कों को चौड़ा करना एवं उनका सुधार :

निर्धारित नीति के अनुसार वर्तमान में स्थित सड़कें जिन्हें मुख्य सड़कों के रूप में प्रस्तावित किया गया है, का मार्गाधिकार जहां तक सम्भव हो मापदण्डों के अनुसार होगा। उन स्थानों पर जहां सड़कों को चौड़ा करना संभव नहीं हो अथवा जहां अत्यधिक संख्या में पक्के मकानों को तोड़ना पड़ रहा हो, वहां सुविधानुसार तालमेल बिठाकर निम्न स्तर के मापदण्ड अपनाए जा सकते हैं। नगर के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बाजारों की सड़कों को चौड़ा करने हेतु आगे बने चबूतरों और अनाधिकृत निर्माणों को हटाकर कुछ हद तक इन्हें चौड़ा किया जाना प्रस्तावित है ।

5.7 (1) स–चौराहों का सुधार :

विकसित क्षेत्र में यातायात को स्वतंत्र रूप से चलाने में जो बाधाएं आती हैं, उनमें अपर्याप्त तथा गलत चौराहों के कारण भीड़–भाड़ होना प्रमुख है। अतः चौराहों के

सुधार का कार्य बहुत महत्त्वपूर्ण है। यातायात तथा आवागमन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए समस्त महत्त्वपूर्ण चौराहों की जांच कर उन्हें सावधानी से पुनः डिजाईन करने का प्रस्ताव है।

5.7 (1) द–पार्किंग व्यवस्था :

संगरिया में बढ़ते हुए वाहनों के कारण यातायात संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो गयी है। आवागमन के अतिरिक्त वाहनों में पार्किंग की समस्या भी बहुत गंभीर होती जा रही है। पुराने व्यापारिक केन्द्रों में यह समस्या सबसे अधिक है। अतः प्रस्तावित किया गया है कि इन पुराने व्यापारिक केन्द्रों में जो खुले स्थान उपलब्ध हैं, उनको पार्किंग के रूप में विकसित किया जावे। नये व्यापारिक केन्द्रों की विस्तृत योजनाएं तैयार करते समय इनमें पार्किंग हेतु पर्याप्त भूमि का प्रावधान किया जावे। भारी वाहनों के लिए यातायात नगर एवं योजना में उचित पार्किंग स्थल का प्रावधान रखा जाएगा। संगरिया में प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका संख्या– 22 में दर्शाया गया है।

तालिका–22
सड़कों का प्रस्तावित मार्गाधिकार –संगरिया–2031

क्र. सं	सड़कों की श्रेणी	प्रस्तावित न्यूनतम सड़क मार्गाधिकार
1.	प्रमुख सड़कें/बाह्य मार्ग (प्रस्तावित एवं डबवाली हरियाणा को जाने वाली)	100 फीट
2.	उप प्रमुख सड़कें	
	1.डबवाली बाह्य मार्ग से शहर को अन्दर से होकर डबवाली को जाने वाली सड़क	100 फीट
	2.. स्टेशन रोड़	100 फीट
	3. स्टेशन रोड़ से नायवाना गॉव को व स्टेशन रोड़ से बस स्टेण्ड के आगे से होकर जाने वाली सड़क	80 फीट
	4. विद्यमाान धान मण्डी से कृषि विज्ञान केन्द्र के आगे से होकर बाह्य मार्ग तक	100 फीट
	5. बस स्टेण्ड से सादुलषहर –अबोहर रोड़ बी.एन.एस.एस. स्कूल तक	60 फीट
	6. बी.एन.एस.एस. स्कूल से सादुलषहर –अबोहर रोड़	80 फीट
3.	मुख्य सड़कें	
	1. स्टेशन रोड़ से वाटर वर्क्स को जाने वाली सड़क	80 फीट
	2. रेल्वे क्रासिंग उद्यम सिंह चौक से सिंचाई विभाग को जाने वाली सड़क	80 फीट
	3. धान मण्डी के पूर्व व पश्चिम दिशा में स्थित दोनों सड़कें जो नायवाना को जाने वाली सड़क को मिलाने वाली सड़क	100 फीट

5.7 (2) बस अड्डा तथा यातायात नगर :

वर्तमान में संगरिया में लगभग 3 एकड़ क्षेत्रफल में दो बस स्टेण्ड है जिनमें से एक पुराना बस स्टेण्ड शहर के मध्य स्थित है तथा दूसरा आई.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत रतनपुरा तिराहे पर बनाया गया है । पुराने बस स्टेण्ड की योजना विधिवत नहीं होने के कारण एवं वाहनों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यहां पर यातायात की समस्या उत्पन्न हो गयी है। अतः केन्द्र प्रवर्तित आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत नये बस स्टेण्ड का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में ट्रक मुख्य सड़कों के किनारे अव्यवस्थित ढंग से खड़े रहते हैं, जो यातायात में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं। भारी वाहनों का शहर के अन्दर कम से कम प्रवेश हो इसलिए प्रस्तावित विकसित क्षेत्र के अन्तिम छोर पर संगरिया रोड़ के दक्षिण में है जहां ट्रक टरमिनस प्रस्तावित किया है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 15 एकड़ है।

5.7 (3) रेल एवं हवाई सेवा :

संगरिया, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ ब्रॉड गेज लाइन से जुड़ा हुआ होने के कारण राज्य के अन्य बड़े शहरों के लिए रेल सेवा उपलब्ध है। रेल लाईन शहर के मध्य से गुजरती है। इसमें अभी किसी भी प्रकार का बदलाव प्रस्तावित नहीं है। संगरिया अभी छोटा शहर है। अतः अभी हवाई पट्टी का प्रस्ताव नहीं है।

5.8 परिधि नियंत्रण पट्टी :

शहर के अतिक्रमणों एवं अनाधिकृत विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में ही सुनियोजित विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना ही है । परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियोजित रूप से हो, इसके प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम

142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियन्त्रण पट्टी में कृषि सेवा केन्द्र, हाईवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौध शालाएँ, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मोटल्स, वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट, कृषि आधारित लघु उद्योग जैसे क्रेशर,ईंट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग, दाल मिल, स्टोन पॉलिशिंग उद्योग,बजरी उत्खनन आदि अनुज्ञेय होंगे।

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र और अधिसूचित नगरीय क्षेत्र के मध्य स्थित परिधि नियंत्रण के रूप में रखा जायेगा। इस क्षेत्र का स्वरूप मुख्य रूप से ग्रामीण ही होगा और यहां पर केवल कृषि पर आधारित क्रिया–कलापों जैसे जंगलात, वृक्षारोपण, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन इत्यादि कार्यों की अनुमति दी जायेगी।

5.8(1) ग्रामीण आबादी क्षेत्र :

परिधि नियन्त्रण पट्टी के अन्दर स्थित गांवों का विकास एवं विस्तार नियमित तरीके से ही किया जायेगा। इस संबंध में यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण और गंभीर चिन्तन का है यदि समुचित प्रतिबन्धों का प्रावधान नहीं किया जाता है तो इस बात की पूरी संभावना है कि जनता ग्रामीण अंचलों में अविवेकपूर्ण ढंग से निर्माण करने के प्रति लालायित हो, जिससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकृतियां उत्पन्न होगी वरन् यह प्रवृति नगरीय क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में असंगत फैलाव अर्थहीन बनकर रह जायेगा। अतः आबादी विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए इन गांवों का नियोजित ढंग से विस्तार हेतु आवश्यकतानुसार योजनाएं बनायी जावेंगी।

6
योजना का कार्यान्वयन

संगरिया शहर की योजना तैयार करने मात्र से ही योजना प्रक्रिया सम्पूर्ण नहीं हो जाती है। यह तो वास्तव में शहर के रहने और कार्य करने के योग्य बनाने के प्रयास का प्रारम्भिक चरण मात्र है। इस योजना को वास्तविकता में परिवर्तित करने का सर्वोतम उपाय यही है कि इस योजना को मूर्तरुप प्रदान करने हेतु पूर्ण सामर्थ्य एवं क्षमता के साथ प्रयास किये जायें। अधिकांश योजनाओं की असफलता का कारण यह नहीं था कि वे अव्यावहारिक थीं बल्कि मुख्य कारण यह रहा कि अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण विश्वास के साथ इन्हें कार्यान्वित करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नही किये गये । योजना का कार्यान्वयन इन क्रियाओं का स्वरुप है, जो योजना को कार्यक्रम में स्थानान्तरित करता है।यह प्रक्रिया सार्वजनिक अभिकरणों और निजी संस्थाओं के उन सभी कार्यो और क्रियाओं को अपने अन्दर समाहित कर लेती जिसकी आवश्यकता अनुमोदित योजना में उल्लेखित संभावित परिणामों को निश्चित स्वरुप प्रदान करने के लिए होती है।

इस दृष्टि से नियामक और विकास दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होती है। समुचित कानूनी प्रावधानों, प्रशासनिक संगठन,तकनीकि मार्गदर्शन और वित्तीय संसाधनों के साथ–साथ नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और सहयोग पर ही योजना का सफल कार्यान्वयन निर्भर करता है। अतः हम सबका यह दायित्व है कि रहने और कार्य करने के स्थल के रुप में संगरिया को अधिक आकर्षक बनाने की दिशा में परस्पर सहयोग की भावना से गंभीर प्रयास करें।

6.1 वर्तमान आधार :

वर्तमान स्थानीय निकाय, संगरिया का गठन राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया है। नया अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता हैं जिससे सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास

कार्यो को प्रभावपूर्ण तरीके से सम्पादित किया जा सके । नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत है जो अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों,विनियमों और मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार :

मास्टर प्लान प्रस्तावों को कार्यान्वित करने का दायित्त्व नगरपालिका संगरिया का रहेगा नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रस्तावों को तथा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से अपने क्षेत्र में लागू करनें हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगी ।

मास्टर प्लान के लागू हाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय निकाय को भेजी जावेगी । इस प्रकार स्थानीय निकाय उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगी कि संगरिया के नगरीय क्षेत्र में विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जावेंगें । इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि सम्बन्धित स्थानीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जावेगी । अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां शहर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, जिला कलक्टर कार्यालय एवं नगरपालिका संगरिया में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी । आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका संगरिया से निर्धारित राशि दे कर क्रय कर सकेगी ।

नगरपालिका संगरिया मास्टर प्लान के प्रस्तावों के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रभावशाली योजनाएँ तैयार करेगी। जलापूर्ति व जल–मल निकास, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा शहर यातायात प्रबन्ध व सड़क विकास योजना, नगर नियोजन विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के परामर्श से तैयार करेगें।

नगरपालिका संगरिया मास्टर प्लान के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से परियोजनाएँ तैयार कर कार्यान्वयन की कार्यवाही करेगी।

खण्ड क्रिया पर आधारित विखंडित प्रगति समन्वित विकास की योजना में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। अतः किसी भी दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्त्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त तकनीकी अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान का होना आवश्यक है ताकि यह विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि स्थानीय निकाय को सभी प्रकार से सुदृढ़ किया जाये और समुचित अधिकार दिया जाये। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो, इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय करने होंगें ।

6.3 जन–सहभागिता एवं जन–सहयोग :

कस्बे का विकास अंततः लोगो की आशाओं एवं आकांक्षओं पर निर्भर करता हैं। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहाँ की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक हैं। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शहर की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

संगरिया के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है ।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गयी स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गयी भू–उपयोग योजना 2031 में समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गयी किसी स्वीकृति यथा 90बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमण, भू–उपयोग, अनुमोदित योजना, भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन सहवन से नहीं हो पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जायेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी । इन नदी नाले, जलाशय इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो । क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर से सुनिश्चित की जावेगी ।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा – शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके ।

6.5 उपसंहार –

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये । इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति के लिये ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं । संगरिया का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है, तथा सामान्य स्तर

की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है । नगर में नयी सुविधाएँ उपलब्ध कराने, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करने और संगरिया को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है ।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण

अध्याय – 2

मास्टर प्लान

3. राज्य सरकार को मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्तिः

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करें, आदेश में विनिदिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जायेगा ।

(2) मास्टर प्लान तैयार करनेके सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे जितने राज्य सरकार उचित समझे ।

4. मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है और

(ख) उस ढॉचे के विभिन्न जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जायें, आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा ।

5. अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गए नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के संबंध में आपत्ति तथा सुझाव आमांत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा ।

6. मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

(2) राज्य सरका, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी ।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगी ।

7. मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहॉ मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जायेगा ।

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notificaation No. F.4(32)LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette Part IV-C extraordinary dated 08.06.1962 Page 118 J]

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :-

RULES

1.Short title and commencement:

(1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules – 1962"

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the subject or context otherwise requires-

(i) "Act" mean the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959 (Act No. 35 of 1959).

(ii) **"Trust"** means a trust as constituted under the Act.

(iii) **"Section"** means a Section of the Act

(iv) Word and expressions used but not defined shall have the meaning assigned to them in the Act.

3.Manner of publication of draft Master Plan and the contents thereof under Section 5(i).

(i) The draft master plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959, shall be published by him by making a copy thereof

available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.

(ii) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.

(iii) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, Plan and documents namely :-

(a) Town Map showing General Layout of the roads and Streets in the Town.

(b) Base Map showing the Generalised existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed land use Pattern. In the Urban area such as residential, commercial, industrial public and semi-public uses etc.

(c) Written analysis and written statement to support the proposals.

1substituted by clause 2 of Notification No. F.3(23)TP/36,Date 24.02.1970 vide C.S.R 96 pub.In Raj. Gax. Extra-order, Part IV-C, dated 24.02.1970 at page 329-331

2 Amended & added vide Noti.No.F-7(19) TP/11/76 dated 21.09.1979 R.G.pt IV-C (i) dated 27.09.1979 page 339.

(c) Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or as the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard

4.**Approval of Master Plan by the State Government under section 6 (1)**

(1) After considering the objections/suggestion and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section 3[3] to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 (2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same if constituted to the State Government for approval.
(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during Office hours on any working day.

---

3. Substituted vide No. F-9 N (10) UDH / 111 / 83 dated 27.10.83 Pub. in Raj. Gaz. 4 (ga) (i) dated 16.02.1984 page 829.

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :– प.10(209)नविवि/3/06 जयपुर, दिनांक 26 मार्च, 2007

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्तर प्लान) राजस्थान, जयपुर को सांगरिया के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करनें एवं मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :–

क्र.सं.	राजस्व ग्राम/चक का नाम	
1.	2 एन.टी.डब्ल्यू. ''ए''	2 N.T.W."A"
2.	2 एन.टी.डब्ल्यू. ''बी''	2 N.T.W."B"
3.	3 एन.टी.डब्ल्यू.	3 N.T.W.
4.	1 एम.जे.डी.	1 M.J.D.
5.	2 एम.जे.डी.	2 M.J.D.
6.	1 आर.टी.पी.	1 R.T.P.
7.	2 आर.टी.पी.	2 R.T.P.
8.	3 आर.टी.पी. I	3 R.T.P. I
9.	3 आर.टी.पी. II	3 R.T.P.II
10.	4 आर.टी.पी.	4 R.T.P.

राज्यपाल की आज्ञा से
ह0
(शिवकुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित कर एक प्रति इस कार्यालय को भिजवानें का श्रम करें ।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।
4. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ।
5. अधिषाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांगरिया ।
6. रक्षित पत्रावली ।

ह0
(दिलीप सिंह बारेठ)
उप नगर नियोजक

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :– प.10(209)नविवि/3/06 जयपुर, दिनांक 26 अप्रेल, 2010

अधिसूचना

इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.03.2007 द्वारा संगरिया कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 (1) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में 10 राजस्व ग्राम/चक सम्मिलित किये गये थे, की निरन्तरता में निम्नानुसार एक अतिरिक्त राजस्व ग्राम/चक जोड़ा जाता है :

क्र.सं.	राजस्व ग्राम/चक का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम/चक का नाम (अंग्रेजी में)
1.	9 एस.बी.एन.	9 S.B.N.

राज्यपाल की आज्ञा से
ह0
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित कर एक प्रति इस विभाग को भिजवानें का श्रम करें ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर ।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक टीपीआर : 1121/एमपी/संगरिया/3340 दिनांक 05.04.2010 के सन्दर्भ में ।
5. जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ ।
6. अधिषाषी अधिकारी, नगर पालिका, संगरिया जिला हनुमानगढ़ ।
7. रक्षित पत्रावली ।

ह0
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः–प.10(209)नविवि/3/2006 जयपुर, दिनांकः– 6.2.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.3.2007 एवं 26.04.2010 द्वारा यथा अधिसूचित ''संगरिया (जिला–हनुमानगढ) के नगरीय क्षेत्र'' के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, संगरिया के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से
ह0
(प्रकाष चन्द्र षर्मा)
षासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी डी भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाषन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2 प्रमुख षासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पष्चिम), राजस्थान, जयपुर।
5 वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर ।
6 जिला कलक्टर, हनुमानगढ।
7 अधिषाषी अधिकारी, नगर पालिका, संगरिया, जिला हनुमानगढ।
8 रक्षित पत्रावली ।

ह0
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक